

विधानसभा उप चुनाव – 2021

(धरियावद एवं वल्लभनगर)

निर्वाचन विभाग, राजस्थान

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण  
(EEM)

## कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देश

1. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को मोबाईल में आरोग्य सेतु एप का उपयोग किये जाने हेतु पाबन्द किया जाए ।
2. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा ।
3. निर्वाचन हेतु प्रशिक्षण के समय इस कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक के तापमान की जांच थर्मल स्कैनर से की जाएगी ।



लगातार...

4. चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रशिक्षण स्थल को उपयोग में लिये जाने से पूर्व आवश्यक रूप से सैनेटाइज करवाया जाएगा ।
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटका, तम्बाकू आदि का खाना केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा ।
6. उचित सामाजिक दूरी की पालना हो ।

लगातार...

7. निर्वाचन ड्युटी के दौरान नियुक्त किसी भी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिक का कोविड परीक्षण करवाया जावे।
8. **FS/SST/VST** अपनी फील्ड ड्युटी के दौरान सेनेटाईजर व फेस मास्क अपने साथ रखेंगे एवं तलाशी के दौरान आवश्यकतानुसार स्वयं व अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोग करेंगे।
9. फेस शील्ड का उपयोग फील्ड ड्युटी के दौरान करेंगे।
10. तलाशी के दौरान आवश्यक रूप से ग्लव्ज का उपयोग करेंगे।




“लोकतंत्र में गरीब व अमीर सबको समान अवसर मिलना चाहिये”

—महात्मा गांधी



चुनावों को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व



# धन बल


चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है :

- मतदाताओं के लुभाने में,
- अभ्यर्थियों को लुभाने में,
- अन्य व्यक्तियों— यथा कार्यकर्ता को लुभाने में।
- साथ ही निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना, धारा 123 (6) RP ACT, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण है।
- धारा 77 (3) RP ACT, 1951 निर्धारित सीमा से अधिक राशि व्यय करने की अनुमति नहीं देती।



# Nothing Official About it...

Ceiling Limit  
for a candida



Is there any  
Ceiling Limit  
for an Agent  
of Candidate?

So,....

# निर्वाचन व्यय पर नियन्त्रण क्यों ?

---

- सब अभ्यर्थियों को समान प्लेटफार्म मिल सके,
- मतदाता बिना प्रलोभन के मतदान कर सके एवं,
- निर्वाचन प्रक्रिया को 'शुद्ध' रखा जा सके।

# निर्वाचन व्यय के प्रकार

## अनुज्ञेय व्यय (Permissible Expenditure):—

- पोस्टर, बैनर, कट-आउट आदि।
- जन सभा / रैली-टैन्ट, कुर्सी, माइक, माला आदि।
- चुनाव कार्यालय।
- वाहन, लाउडस्पीकर आदि।
- कार्यकर्ता पारिश्रमिक, खाने के पैकेट आदि।
- विज्ञापन, प्रिन्ट / इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आदि पर—
- ✓ लोकसभा चुनाव हेतु सीलिंग सीमा—77 लाख रु.
- ✓ राजस्थान में विधान सभा चुनाव हेतु 30.80 लाख रुपये



# अवैधानिक (Not Permissible) व्यय

- मतदाता / अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नकद बांटना ।
- साड़ी / धोती / कंबल या अन्य उपहार देना ।
- मदिरा का वितरण ।
- लंगर चलाना ।
- मतदाताओं के वाहन में पेट्रोल / डीजल डलवाना
- इनको तत्काल रूकवाया जाना चाहिये व RP Act/IPC या अन्य नियमों के तहत FIR/इस्तगासा दर्ज कराया जाना चाहिये ।

## अवैधानिक (Not Permissible) व्यय के कुछ उदाहरण –

- मतदाताओं के घर जाकर अथवा उन्हें किसी स्थान (धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक स्थल) अथवा कार्यक्रम में नकद बांटना।
- किसी भी सरकारी योजना, खेल आयोजन, स्वास्थ्य अथवा शिक्षा आयोजन या राजनैतिक दल की रैली में शामिल होने के नाम पर पैसे देना।
- डमी अभ्यर्थी को खड़ा करना, उसके वाहनों को स्वयं के काम में लेना।
- मतदाताओं द्वारा साहूकारों से लिये गये छोटे कर्जों को अभ्यर्थियों द्वारा चुकाना।

लगातार...

- समाचार पत्रों अथवा अन्य मीडिया माध्यमों से अपने पक्ष में एवं प्रतिद्वंदी के विपक्ष में समाचार प्रकाशन हेतु धन अथवा अन्य प्रलोभन देना ।
- मतदाताओं को शराब, अफीम, ड्रग आदि के माध्यम से प्रलोभित करना ।
- मतदाताओं को मुफ्त में सामान उपलब्ध करवाना जैसे मोबाईल फोन, खाद-बीज, घरेलू सामान कपड़े किताबें आदि ।
- फिल्म स्टार व अन्य मीडिया के प्रभावशाली व्यक्ति के साथ रैली करना



# निर्वाचन व्यय से संबंधित वैधानिक प्रावधान

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951,
- निर्वाचनों का संचालन नियम 1961,
- भारतीय दंड संहिता 1860,
- भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश,
- आयकर अधिनियम,
- अन्य — आबकारी, मोटर वाहन अधिनियम आदि ।

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के महत्वपूर्ण प्रावधान

- धारा 10(A):-निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करना अथवा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लेखे तैयार नहीं करना ।
- दण्ड— आदेश की तिथि से 3 वर्षों के लिये अयोग्य घोषित करना ।

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

- धारा 77(1)— प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन के समस्त व्ययों का सही लेखा संधारित करना होगा।
- धारा 77(2)— लेखों का समस्त विवरण निर्धारित प्रारूप में होगा।
- धारा 77(3)— समस्त व्ययों का योग निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा।
- धारा 78— परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस में अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्ययों की एक सही प्रति DEO (जिला निर्वाचन अधिकारी) को प्रस्तुत करनी होगी।



धारा 123 : भ्रष्ट आचरण

123 [(1) रिश्वत : किसी अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता अथवा इन दोनों की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी पारितोषण (Gratification) का ऐसा उपहार (Gift) प्रस्ताव या वचन

जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य हो कि :-

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने / ना होने के लिए या अभ्यर्थिता वापस लेने / ना लेने के लिए अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को मत देने / मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करना ।

123 (2) अनुचित दबाव (Undue Influence) : किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी / निर्वाचन अधिकर्ता / इनकी सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रयत्न ।

123 (3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने से विरत रहने की अपील

123 (3A) विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति समुदाय

या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना फैलाने वाला कार्य करना ।

- 123 (4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में या अभ्यर्थिता वापस लेने के संबंध में ऐसे तथ्य का प्रकाशन जो मिथ्या है या मिथ्या होने का विश्वास है।
- 123 (5) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने के लिये भाड़े पर वाहन लेना।
- 123 (6) धारा 77 के उल्लंघन में कोई व्यय करना या प्राधिकृत करना।
- 123 (7) सरकारी कर्मचारियों से कोई सहायता लेना जैसे— निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता बनने को बाध्य करना
- 123 (8) अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा बूथ पर बलात कब्जा।



धारा 127( I) :- पैम्फलेट, पोस्टर व अन्य दस्तावेजों का मुद्रण

- 127(A)(1)— कोई भी व्यक्ति, कोई निर्वाचन पैम्फलेट / पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके प्रकाशक व मुद्रक का नाम एवं पता अंकित नहीं हो का मुद्रण / प्रकाशन न तो करेगा और न ही करवायेगा ।

- 127(A)(2)— कोई भी व्यक्ति, कोई निर्वाचन पैम्फलेट / पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा जबतक कि उसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित एवं ऐसे दो व्यक्तियों, जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हों के द्वारा प्रमाणित न हो जिसे मुद्रक को दो प्रतियों में भेजा न गया हों एवं युक्तियुक्त समय के भीतर पैम्फलेट / पोस्टर के मुद्रण के पश्चात् मुद्रक द्वारा घोषणा की एक प्रति निम्न को दस्तावेज के साथ भेजा ना गया हो।

राज्य की राजधानी में मुद्रण : मुख्य निर्वाचन अधिकारी को  
अन्य जगह मुद्रण : जिला मजिस्ट्रेट को

127 (3a) मुद्रण:- किसी भी दस्तावेज की बहुत सारी प्रतियाँ कराना (हाथ से प्रतिलिपि के अतिरिक्त) मुद्रण कहलाता है।

127 (3b) पैम्फलेट / पोस्टर :- कोई भी मुद्रित पैम्फलेट, हैण्डबिल या अन्य दस्तावेज जो कि किसी अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के समूह को निर्वाचन के संबंध में प्रोन्नत करने से संबंधित हो।

127 (4) की उपधारा (1) व (2) के उल्लंघन करने पर 6 माह तक कारावास अथवा 2,000 रु का अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित होगा।



## परिशिष्ट – क

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा का प्रोफार्मा

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क देखें)

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... (नाम) निवासी.....(गांव/टाउन)..... (जिला) ..... (राज्य), एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं ..... (निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि का विस्तृत ब्यौरा दें) का प्रकाशक हूँ.....(मुद्रक प्रेस का नाम) द्वारा प्रिंट किए गए हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

स्थान .....

दिनांक ...

पूरा पता ....

द्वारा अनुप्रमाणित किए गए (प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले)

हस्ताक्षर (नाम तथा पता)

हस्ताक्षर (प्रतिहस्ताक्षर करने वाले का नाम तथा पता) हस्ताक्षर (मुद्रक का नाम तथा पता)

## परिशेष – ख

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के मुद्रण के संबंध में सूचना  
प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

1 मुद्रक का नाम तथा पता .....

2 प्रकाशक का नाम तथा पता .....

3 प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख .....

4. प्रकाशक की घोषणा की तारीख .....

5. निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि का संक्षिप्त विवरण .....

6. उपर्युक्त मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या .....

7. मुद्रण की तारीख .....

8. उपर्युक्त दस्तावेजों के संबंध में प्रकाशक से लिए जा रहे मुद्रण प्रभार (कागज की लागत सहित).....

स्थान .....

तारीख .....

(मुद्रक के हस्ताक्षर तथा मुद्रक की सील)

# भारतीय दण्ड संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधान

## 171(B) रिश्वत (Bribery):—

कोई भी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से अलग रहने के लिए धन/वस्तु प्रदान करता है अथवा स्वीकार करता है तो रिश्वत की श्रेणी में माना जायेगा।

**दण्ड—** धारा 171 (E) के तहत 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों।



## 171(C) असम्यक प्रभाव (undue influence):—

किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक मताधिकार के प्रयोग करने को बाधित करने अथवा परिवर्तित करने वाला कार्य असम्यक प्रभाव माना जायेगा ।

**दण्ड:—** धारा 171 (F) के तहत 1 वर्ष तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों ।

## 171(H):— अवैध भुगतान—

किसी अभ्यर्थी की लिखित सहमति के बिना किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा कोई व्यय करना अवैध है।

किसी अभ्यर्थी के बारे में कोई सेरोगेट विज्ञापन प्रकाशित होता है और अभ्यर्थी उसमें असहमति दर्शाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध 171(H) में दण्ड के रूप में 500 रु. तक का जुर्माना निर्धारित है।

171 (I) निर्वाचन व्यय रखने में असफलता

(Failure to keep Election expenses)

कोई अभ्यर्थी यदि निर्वाचन व्यय लेखे निर्धारित प्रारूप में नहीं रखता है या उन्हें निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा।





National **Voter's Day**  
25<sup>th</sup> January 2011

**Say** Yes to



**No** to



your vote is invaluable....  
use your vote wisely

Greater Participation For A Stronger Democracy

# निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

## 86. निर्वाचन व्ययों के लेखों का विवरण :-

- (1) अभ्यर्थी के द्वारा RP Act की धारा 77 के अन्तर्गत संधारित किए गए लेखों में निम्न विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे—
  - (a) दिनांक
  - (b) व्यय की प्रकृति
  - (c) राशि (Paid/Outstanding)
  - (d) भुगतान की तिथि
  - (e) भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम व पता
  - (f) वाउचर के क्रमांक आदि। (यदि भुगतान किया गया है)
  - (g) बकाया राशि के बिलों के नम्बर एवं
  - (h) बकायादारों के नाम व पते

**86. निर्वाचन व्ययों के लेखों का विवरण :-**

- (2) यथासंभव प्रत्येक खर्च के लिये वाउचर प्राप्त किये जाने चाहिये ।
- (3) लेखों के वाउचर को तिथिवार क्रम से व्यवस्थित करना चाहिये व प्रविष्टि करनी चाहिये ।
- (4) व्यय जैसे – डाक टिकट, रेल टिकट आदि के लिये भुगतान प्राप्तकर्ता का विवरण देना आवश्यक नहीं है ।



लगातार ...

## 87. लेखों के निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस चस्पा करना :-

अभ्यर्थी के द्वारा आर.पी.एक्ट की धारा 78 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए लेखों के दो दिवस में जिला निर्वाचन अधिकारी अपने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चस्पा करेगा जिसमें निम्न बिन्दु अंकित किए जाएंगे :-

- अ. अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन लेखे प्रस्तुत करने की तिथि
- ब. अभ्यर्थी का नाम
- स. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखों के निरीक्षण हेतु समय एवं स्थान का विवरण ।

## लगातार ...

88. लेखों का निरीक्षण एवं उनकी प्रति प्राप्त करना :—

कोई भी व्यक्ति निर्वाचन लेखों का निरीक्षण एक रु शुल्क देकर कर सकता है एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फीस पर सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकता है।

89. जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना :—

(1) आर.पी. एक्ट की धारा 78 के अन्तर्गत प्रस्तुत लेखों के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग को शीघ्र एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम, निर्वाचन लेखे प्रस्तुत करने की तिथि, एवं क्या उक्त लेखे आर.पी.एक्ट के तहत तैयार एवं प्रस्तुत किए गए हैं, इस पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।

## लगातार ...

89- (1)–

- (a) निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम
- (b) लेखे प्रस्तुत करने की तिथि
- (c) क्या DEO की राय में प्रस्तुत लेखे सही और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तैयार किये गये हैं।

**89.** (2) – यदि जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में लेखे निर्धारित प्रारूप या तरीके से तैयार नहीं किये हैं तो वह भारत निर्वाचन आयोग को अपनी राय मय दस्तावेजों को सौंपेगा।



लगातार ...

**89-** (3) – भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजने के पश्चात वह एकप्रति नोटिस बोर्ड पर लगायेगा।

**89.** (4) – रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत निर्वाचन आयोग यह जाँच करेगा कि प्रस्तुत लेखे निर्धारित तिथि, प्रारूप एवं तरीके से आये या नहीं?

**89.** (5) – अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि व तरीके से लेखे प्रस्तुत न करने पर तुरंत 10(A) के तहत नोटिस देना चाहिये।


**89.** (6) – 5 के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के जवाब के लिये 20 दिन का समय दिया जायेगा।

**89.** (7) – जिला निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थी के जवाब के 5 दिन के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग को प्रति भेजेगा।

**89.** (8) – जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट एवं जवाब के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग तय करेगा कि वह संतुष्ट है या नहीं?

# निर्वाचन व्यय को मॉनीटर करने वाले अधिकारी / दल

- व्यय प्रेक्षक (**Expenditure Observer**)
- सहायक व्यय प्रेक्षक (**Asstt. Expenditure Observers**)
- उड़न दस्ते (**Flying Squads**)
- स्थैतिक निगरानी दल (**Static Surveillance Teams**)
- वीडियो निगरानी टीम (Video Surveillance Teams)
- वीडियो अवलोकन टीम (Video Viewing Team)
- लेखा दल (Accounting Team)
- जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (District Expenditure Monitoring Committee)
- आयकर विभाग के दल
- आबकारी विभाग के दल
- शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेन्टर (Complaint Monitoring Control Room and Call Centre)
- मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (Media Certification and Monitoring Committee)





## व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ई.एस.सी.)

- पिछली घटनाओं, निर्वाचन क्षेत्र के अत्यधिक व्यय और भ्रष्ट परिपाटियों के संक्षिप्त विवरण के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी विधानसभा क्षेत्रों का चयन कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूची देंगे।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उक्त सूची भारत निर्वाचन आयोग को देगा जिनमें अत्यधिक व्यय और भ्रष्ट परिपाटियों को अपनाये जाने की संभावना है। ऐसे संवेदनशील विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को 'व्यय निर्वाचन क्षेत्र' का नाम दिया गया है।
- ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यदि आवश्यकता हो तो दो सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। उक्त विधानसभा क्षेत्रों में उड़नदस्ता व स्थैतिक निगरानी दलों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी।

## व्यय संवेदनशील पॉकेट (ई.एस.पी.)

- प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान साक्षरता या आर्थिक विकास या पिछले निर्वाचन में शिकायतों के आधार पर की जायेगी।
- इनकी पहचान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यय प्रेक्षक (पहली विजिट के दौरान) के परामर्श से की जानी है।
- ऐसे पॉकेट मतदान के पहले के अन्तिम तीन दिनों के दौरान स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी) की 24X7 निगरानी में होंगे। इस अवधि में इस दल में सी.पी.एफ. का संयोजन होगा।

# जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य

- ADM/SDM रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के व्यय नोडल अधिकारी (EMC) व निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में कार्य करने वाले समस्त दलों FST/VST/VVT/AT/SST आदि टीमों की गठन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- बूथ स्तरीय जागरूकता समूह का गठन
- जिला MCMC का गठन करना।
- चुनावों की घोषणा के तीन दिवस में सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करना।
- मीटिंग में निर्वाचन व्ययसे संबंधित प्रावधान बताना वकम्पेन्डियम की प्रति उन्हें देना।



## जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों से सलाह कर दरें निर्धारित करना:-

- पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर , लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर , माइक्रोफोन वीडियो कैसेट / सी.डी, ऑडियो कैसेट आदि ।
- टैन्ट, कुर्सी, मेज, रोस्ट्रम, फर्श, दरी, वगैरह ।
- होर्डिंग, कट—आउट आदि ।
- अन्य प्रचार सामग्री एवं कोविड को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त किए जाने वाले सेनेटाईजर, मास्क, ग्लव्स आदि की सम्भावित व्ययों की दरों का अध्ययन करना एवं सूची तैयार करना ।
- राजनैतिक दलों के साथ मीटिंग करके व्ययों की दरें निर्धारित कर लेखा दलों को उपलब्ध कराना ।

- अनुलग्नक-D3 के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुलग्नक-1 में प्रेषित दैनिक मदिरा अनुवीक्षण (Daily Liquor Monitoring) की सूचना पर कार्यवाही सुनिश्चित कर अनुलग्नक-2 में रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे।
- अभ्यर्थियों के निर्वाचन लेखों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुलग्नक C3 के अनुसार संवीक्षा रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

# जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रचार-प्रसार

- जनता में अपील करना कि अत्यधिक नकदी नहीं ले जायें।
- FS एव SST के बारे में जनता को बताना व उनके मोबाइल नं. जनता को बताना जिसमें किसी भी प्रकार की सूचना टीम को तुरन्त मिले व उस पर तुरन्त कार्यवाही हो।
- जनता से अपील करना कि कहीं भी कोई अभ्यर्थी / निर्वाचन एजेंट / कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु, शराब या उपहार बांट रहा हो तो तुरन्त कॉल सेंटर में शिकायत करें।



लगातार.....

- जनता से कोई भी राशि / वस्तु स्वीकार नहीं करने बाबत अपील ।
- रिश्वत लेना व देना कानूनी अपराध है और नकद लेकर / वस्तु लेकर मत का प्रयोग करना रिश्वत की श्रेणी में आता है ।
- NGO/NSS/NCC/SHG व अन्य समूहों के माध्यम से Ethical Voting का प्रचार करना ।

# जिला व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ (EMC)

- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर गठन
- नोडल अधिकारी: ADM/SDM स्तर का अधिकारी
- अतिरिक्त / सहायक नोडल अधिकारी— R.Ac.S/  
TDR/AAO
- आवश्यक स्टाफ यथा लेखाकार, मन्त्रालयिक कर्मचारी, आदि
- निर्वाचन व्यय पर सम्पूर्ण निगरानी ।

# अनुवीक्षण व्यय प्रकोष्ठ के कार्य

- FS/SST/VST/VVT/AT का गठन व पर्यवेक्षण ।
- रैली / सभाओं / वाहनों की अनुमति को व्यय सहित सम्बन्धित अभ्यर्थी / दल के खाते में जोड़ने की सुनिश्चितता करना ।
- अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों की जांच हेतु आवश्यक निरीक्षण कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करना ।



लगातार...

- RP Act की धारा 127(ए) के तहत पैम्पलेट / पोस्टरों की प्रति परिशिष्ट क व ख के साथ अभ्यर्थी / दलों से प्राप्त कर लेखा दलों को उपलब्ध कराना ।
- सुनिश्चित करना कि धारा 127 ए के प्रावधानों की पालना की जा रही है ।
- अनाधिकृत पोस्टर / पैम्फलेट के विरुद्ध इस्तगारा / एफ.आई.आर 127 (ए) के तहत दर्ज कराना ।
- नोडल अधिकारी मीडिया प्रकोष्ठ से समन्वय बनाते हुए पेडन्यूज की लागत दल / अभ्यर्थी के खाते में जोड़ना ।

- समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का व्यय अभ्यर्थी दलों के खाते में जुड़वाना। मीडिया सैल के साथ समन्वय-प्रतिदिन पर्यवेक्षण।
- अभ्यर्थियों को वाहनों की अनुमति जारी करना।
- आयकर, आबकारी, वाणिज्यिक कर, कस्टम विभाग, एयरपोर्ट के नोडल अधिकारियों से समन्वय बनाए रखना।
- आयकर विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर भी जब्ती की रिपोर्ट लेना।
- अग्रणी बैंक अधिकारियों से समन्वय बनाना व सम्पूर्ण जिले में बैंक व शाखाओं के प्रबन्धकों की सूची रखना। सभी बैंक प्रबन्धकों की मीटिंग करवाना।
- बैंको को निर्देश देना कि समस्त अभ्यर्थियों के खाते खोलें व उसी दिन चैक बुक जारी करें।
- सन्देहास्पद लेन-देन की दैनिक रपोर्ट लेना व उस पर कार्यवाही करना।
- अभ्यर्थी / उनके रिश्तेदारों (शपथ पत्र में अंकित) के सभी खातों की सूचना सूची सभी बैंक प्रबन्धकों को उपलब्ध कराना।

- एफ.एस./एस.एस.टी. द्वारा जब्त राशि को कोषालय में रखवाना ।
- जब्त राशि की समुचित जाँच करवाने पर 7 दिन में राशि मुक्त कराना अथवा एफ.आई.आर. दर्ज करा राशि पुलिस को सौंपना व रिपोर्ट भिजवाना ।
- जब्त राशि के विरुद्ध अपील सुनना व उसका रिकार्ड संधारित कर रिपोर्ट भिजवाना ।



- स्टार प्रचारकों की सूची प्राप्त करना। उनकी सभाओं, हवाई यात्राओं एवं वाहनों का व्यय दल/अभ्यर्थी के खाते में जोड़ना।
- व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों/पॉकेट्स की पहचान कर सूची भिजवाना व मतदान से पूर्व के 7 दिन एवं 72 घंटों की कार्य योजना बनाकर निर्वाचन विभाग को भेजना व उस क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखना।

- राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों को ई.ई.एम. पर जानकारी व 2 प्रशिक्षण देना। (1) संवीक्षा के दिन (2) संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व
- व्यय-पर्यवेक्षक के साथ समन्वय व उनकी प्रत्येक शिकायत / सुझावों पर त्वरित कार्यवाही करना।
- DEMC की मीटिंग आयोजित करवाना। विवादित व्ययों को इसमें निर्णीत करवाकर खातों में जुडवाना।
- अभ्यर्थियों के व्ययों के लेखों को प्राप्त कर वेबसाईट पर अपलोड करवाना।

- संवीक्षा प्रतिवेदन (Scrutiny Report) भिजवाना ।
- राजनैतिक दलों के व्ययों का विवरण भिजवाना ।
- अभ्यर्थियों की सूची निम्न प्रारूप में भिजवाना (अंग्रेजी में सॉफ्ट कॉपी) जिसे FIU को भेजी जा सके दिनांक 8.10.13 के पत्र के आधार पर :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पता	रथाई खाता संख्या
---------	-----------------	-----	------------------



- चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लेखों का व्यय प्रेक्षक द्वारा प्रत्येक 3 दिवस में निरीक्षण हो सके इस अनुरूप निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
- निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर –
  - आर ओ द्वारा नोटिस दिये जाना
  - 48 घंटे में नोटिस का जवाब लेना
- जवाब मिलने या ना मिलने पर DEMC में अनियमितता के संबंध में निर्णय लेना।
- निर्णय के क्रम में राशि को अभ्यर्थी के खाते में लेखा दल द्वारा जोड़ा जाना
- निर्णय की प्रति को साक्ष्य फोल्डर के रूप में रखना।

## व्यय प्रेक्षक (Expenditure Observer)

- प्रत्येक जिले के लिये एक व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा।
- एक व्यय पर्यवेक्षक अधिकतम 5 AC के लिये नियुक्त होगा।
- निर्वाचन व्यय मोनीटरिंग का कार्य करेंगे।
- DEO, RO, SP, AEO, Nodal Officers एवं FS, SST, VST, VVT, AT के साथ मीटिंग।
- निर्वाचन तैयारी रिपोर्ट भेजने के पश्चात् प्रस्थान।

- प्रत्येक अभ्यर्थी के लेखों का कम से कम तीन बार निरीक्षण करेगा ।
- प्रत्येक अभ्यर्थी का छाया प्रेक्षण रजिस्टर का निरीक्षण तथा एईओ के कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा ।
- उसके द्वारा दी गई सूचना पर त्वरित कार्यवाही नहीं करने पर आयोग को रिपोर्ट ।
- जब्ती की दशा में वह आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेगा व उसकी प्रतिलिपि CEO को प्रेषित करेगा ।



- ECI के दिनांक 29.05.2015 (DEMC) के आदेश की कॉपी सभी अभ्यर्थियों को दी जा चुकी है, इसकी सुनिश्चितता करेगा।
- Suspected Paid News पर वह **MCMC** को सूचित करेगा।
- व्यय पर्यवेक्षक पुलिस, आयकर विभाग व आबकारी विभाग के नोडल अधिकारी से समन्वय बनाएंगे।

# सहायक व्यय प्रेक्षक (AEO)

- प्रत्येक विधान सभा के लिये कम से कम एक सहायक व्यय प्रेक्षक निर्वाचन की अधिसूचना के दिन से उसे नियत कर दिया जायेगा।
- व्यय संवेदनशील विधान सभा क्षेत्रों में दो AEO होंगे। एक वीडियोग्राफी करवायेंगे व दूसरे FS/SST/VVT/AT से समन्वयन करेंगे।
- यथासंभव केन्द्र सरकार के ग्रुप 'ब' के अधिकारियों की नियुक्ति यदि केन्द्र सरकार के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हों तो लेखा सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति।
- इन्हे आर ओ कार्यालय में 1 कमरा व 1 वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।

- व्यय पर्यवेक्षक की अनुमति के बिना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा।
- सभी सी.डी / वीडियो की रिपोर्ट को देखेगा तथा सभी शिकायतों को देखेगा।
- Shadow Observation Register एवं साक्ष्यों के फोल्डर (FE) का अवलोकन करेगा व उनका पर्यवेक्षण करेगा।



- शिकायत पर FS को सूचित करेगा। FS द्वारा ATR प्रस्तुत की जायेगी। यदि FS रिपोर्ट नहीं देती है या देरी करती है तो EO के ध्यान में लायेगा। EO आयोग को रिपोर्ट देगा। Copy to DEO & CEO.
- Annexure-B6 में दैनिक प्रतिवेदन EO को देगा।

- व्यय प्रेक्षक एवं DEO को संवीक्षा रिपोर्ट बनाने में Assist करेगा ।
- सन्देहास्पद पेड न्युज के संबंध में MCMC की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखेगा व समय-समय पर प्रेक्षक को रिपोर्ट करेगा ।
- यदि वीडियोग्राफर द्वारा रैली / मीटिंग की अन्य किन्ही कारणों से वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी हो तो वह SOR में अंकित करेगा ।

# Annexure- B6

## Daily Report of Assistant Expenditure Observer

<b>No. &amp; Name of the Constituency: - Date: -</b>	
<b>(A.) Video Teams</b>	
<b>(i) List of places where Video Teams were deployed and names of the candidates.</b>	
<b>(ii) Whether the Video Surveillance Team has submitted the CD with Cue Sheet?</b>	
<b>(iii) Whether the Video Viewing Team has entered the items of expenditure like number of Vehicles/Size of Rostrum/cutouts etc.?</b>	
<b>(B.) Accounting Team:-</b>	
<b>(i) Whether all the expenses are entered in Shadow Observation Register of each candidate?</b>	
<b>(ii) Whether the folder of evidence for each candidate is being maintained?</b>	



**( C.)Media Monitoring Team**

**(i) Whether the team is watching and recording all the advertisements in print or electronic Media?**

**(ii) Whether the team is sending report to Accounting Team?**

**(iii) Whether any Paid News is noticed?**

**(D.) Control Room and Call Centre :**

**(i)No. of complaints received -**

**(ii)Whether complaint has been forwarded to the Officerconcerned promptly?**

**(iii)Whether action has been taken? If so, mention the type of action and findings.**

**(E.) Flying Squad and Surveillance Teams**

**(i) No. of cases reported to Flying Squad.**

**(ii) Action taken by the Squad.**

**(iii) No. of Check Posts Put.**

**(iv) Seizure, if any –**

Date: -

**Signature**  
**Name of Assistant Expenditure Observer**

# उड़न दस्ता (Flying Squads)

- प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये तीन या अधिक उड़नदस्ता दलों का गठन
- प्रत्येक दल में निम्न अधिकारी / कर्मचारी
  - वरिष्ठ कार्यपालक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष
  - एक प्रभारी पुलिस अधिकारी
  - 3 से 4 पुलिसकर्मी
  - एक वीडियोग्राफर
- उड़न दस्ता R.O./ARO के निर्देशन में कार्य करेगा

लगातार.....

- निर्वाचन की घोषणा की तिथि से कार्य आरम्भ
- उड़नदस्ते का गठन पहले से करके, प्रशिक्षण देने के उपरान्त, संसाधन युक्त होने चाहिये ।
- वाहन पर Public Address System (PAS) लगा होना चाहिये ।
- घोषणा की जाने वाली सामग्री— स्टेशनरी
- Ethical Voting का प्रचार—प्रसार



# उड़न दस्ता के कार्य

- किसी भी सूचना-नियंत्रण कक्ष, पर्यवेक्षक, RO/ARO, आम जनता से सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त मौके पर जाना
- एक रजिस्टर रखना जिसमें सूचना प्राप्ति की तिथि व समय तथा सूचना की प्रकृति व सूचना देने वाले का नाम, पद नाम अंकित हो साथ में की गई कार्यवाही का विवरण मय समय अंकित हो।
- सूचना का समय, कार्यवाही का विवरण व समय

## लगातार ...

- मौके पर तलाशी लेना—वाहन / स्थल / व्यक्ति — प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा
- निर्वाचन सामग्री के साथ 50,000 रु से ज्यादा नकदी या 10,000 रु से ज्यादा मूल्य की वस्तुएं शराब, हथियार आदि मिलते हैं तो इन्हें जब्त किया जाएगा।
- किसी वाहन में 50000 रु से अधिक नगद अथवा 10000 रु से अधिक की वस्तुएं मिलती हैं और इनको मतदाताओं में वितरण के लिए ले जाया जा रहा हो इस प्रकार की सूचना मिलती है तो उक्त राशि एवं वस्तु को जब्त किया जाएगा।
- किसी अभ्यर्थी / अभिकर्ता / समर्थकों के पास 50,000 से अधिक नकदी व 10,000 मूल्य की वस्तुएं मिलती हैं तो जब्त की जाएगी।

लगातार ...

- जब्ती की कार्यवाही प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- प्रभारी पुलिस अधिकारी के द्वारा एक पंचनामा तैयार किया जायेगा जिस पर मजिस्ट्रेट सहित सभी सदस्यों व उस व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होंगे जिससे तलाशी ली गई है।
- तलाशी व जब्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।



लगातार ...

- वीडियोग्राफी में वाहन की स्थिति, रजिस्ट्रेशन नम्बर, ड्राइवर का नाम पता वाहन में बैठे व्यक्तियों का विवरण, नकद राशि, वस्तुओं का विवरण व की गई कार्यवाही की रिकोर्डिंग मजिस्ट्रेट अपनी आवाज में अपना परिचय सहित सम्पूर्ण विवरण रिकोर्ड करायेगें। **CD RO** को सौंपी जायेगी व महत्वपूर्ण घटनाओं की **CD CEO** को दी जायेगी।

लगातार ...

- 10,00,000 रु से ज्यादा नकद राशि की जब्ती की स्थिति में आयकर विभाग को सूचित किया जायेगा यदि जब्त राशि का संबंध निर्वाचन अपराध से नहीं है तो आयकर विभाग को सोपी जायेगी
- यदि जब्त राशि निर्वाचन अपराध में सम्मिलित है तो दल के पुलिस अधिकारी द्वारा राशि न्यायालय में जमा करा दी जायेगी और एफआईआर या इस्तगासा दर्ज कराया जाएगा ।

लगातार ...

- आयकर विभाग को जब्त राशि सुपुर्द करने तक जब्त राशि कोषालय में रखी जायेगी।
- प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 171(b) के तहत F.I.R. दर्ज कराई जायेगी।
- जब्ती की कार्यवाही करने के पश्चात् अनुलग्नक—G 7 के अनुसार रसीद दी जायेगी, जिस पर नोडल अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का नाम व पदनाम लिखा जायेगा।



लगातार ...

- दैनिक रिपोर्ट अनुलग्नक—B8 में तैयार कर SP को भेजी जायेगी। प्रति RO, DEO व EO को दी जायेगी।
- महिला के पर्स की तलाशी बिना महिला अधिकारी के नहीं की जाएगी।

लगातार ...

- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन आदि के संबंध में भी उड़न दस्ता कार्यवाही करेगा। रिपोर्ट अनुलग्नक—B9 में EO, DEO, SP, RO, को देगा।
- लोगों में विश्वास बहाली का कार्य (Confidence Building Work) भी उड़न दस्ते द्वारा किया जायेगा व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

लगातार ...

जब्त राशि की अपील, अपील समिति द्वारा सुनी जायेगी। नकदी/जब्त सामग्री सम्बन्धी मामले मतदान तिथि के पश्चात् 7 दिनों से अधिक लम्बित नहीं रखे जायेंगे। जब तक की FIR दर्ज न की जाये। जब्त राशि को समिति द्वारा छोड़ा जा सकता है। समिति में निम्न सदस्य हैं –

- 1 जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी – जिला परिषद्
3. कोषाधिकारी



# अपील अधिकारी

- अपील की सुनवाई समिति द्वारा
- नोडल अधिकारी प्राप्त अपीलों का रजिस्टर संधारित करेगा।

## अपील रजिस्टर

क्र. सं.	तिथी	अपीलकर्ता का नाम व पता (मो.—ई—मेल)	अपील किसके विरुद्ध की गई है	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोकसभा क्षेत्र का नाम	जब्त की तिथि	राशि	अपील के निर्णय की तिथि	निर्णय का अंकन	छोड़ी गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- अपील जब्त की तिथि से 7 दिन में ही की जा सकती है।
- समिति की मीटिंग्स का कार्यवाही विवरण तैयार किया जायेगा।

- अपील पर FS/SST/ARO से टिप्पणी मांगी जा सकती है।
- 7 दिवस में मेरिट पर निर्णय।
- निम्न प्रपत्र में निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद प्रति शुक्रवार प्रातः 11 बजे निर्वाचन विभाग को रिपोर्ट करना।

क्र.सं	अपील क्रमांक	अपील दायर कने की तिथि	अपीलकर्ता का नाम व पता (मो-ईमेल.)	किस एफ. एस./ एस. एस.टी के विरुद्ध	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोकसभा क्षेत्र का नाम	अपील के निर्णय की तिथी	मुक्त की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## किरीसी भवन में बड़ी मात्रा में नकदी / सामान जमा होने की स्थिति में प्रक्रिया (4.4.2016)

- ऐसी शिकायत जिसमें उल्लेख हो कि उक्त नकदी / सामान का वितरण मतदाताओं में किया जायेगा, को शिकायत प्रकोष्ठ दर्ज करेगा ।
- शिकायत प्रकोष्ठ तत्काल व्यय पर्यवेक्षक अथवा नोडल अधिकारी आयकर दल के प्रभारी को सूचित करेंगे ।
- आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (आयकर) को सूचित किया जायेगा ।
- Flying Squad को मौके पर तुरंत भेजा जाएगा जो आयकर दल के आने तक बिना भवन में प्रवेश किए वीडियोग्राफी करेगी ।
- भवन की तलाशी आयकर दल द्वारा आयकर अधिनियम के तहत ली जाएगी ।



- आयकर दल द्वारा आवश्यकता होने पर FS अथवा व्यय पर्यवेक्षक भवन में प्रवेश करेंगे।
- DEO/SP पर्याप्त बल (Force) सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेंगे।
- तलाशी के दौरान FS आयकर दल के आस-पास रहेगी।
- तलाशी के दौरान परिसर से बाहर आने-जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच में पाये जाने वाली नकदी/सामान को FS जब्त करेगा।
- किसी भी दशा में व्यय पर्यवेक्षक/FS अपनी स्वयं की इच्छा से तलाशी नहीं लेंगे

उड़न दस्ते (Flying Squad) द्वारा

घोषणा की विषय वस्तु

“भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।



मतदान दिवस

समय

प्रातः बजे से  
सायं बजे तक

लालच में ना आना बापू  
वोट अपनी समझ से देना



मतदान करने के लिए आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन, लालच या दबाव में न आयें।  
मतदान स्वविवेक से निर्भय होकर करें।

सभी चुनें, सही चुनें

मोबाइल

(प्रविष्टियों की जानकारी हेतु) SMS करें  
VOTERJ <Voter ID Card No.>  
और 9251092103 पर भेज दें

टोल फ्री नम्बर

डायल करें टोल फ्री नंबर  
1950

कम्प्यूटर

विभागीय वेबसाइट  
[www.ceorajasthan.nic.in](http://www.ceorajasthan.nic.in)  
पर लॉगिन करें



निर्वाचन विभाग, राजस्थान द्वारा जनहित में प्रकाशित



# पंचनामा

जब्त की कार्यवाही के दौरान पंचनामा तैयार किया जायेगा जो निम्न प्रकार से होगा :-

## पंचनामा

मैं..... (कार्यपालक मजिस्ट्रेट का नाम) .....पद.....विभाग..... जिसे .....लोकसभा क्षेत्र के .....  
विधानसभा क्षेत्र के उड़नदस्ता संख्या.....

का कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

मुझे..... (सूचना का स्रोत) से ज्ञात हुआ है कि ..... (सूचना का सार)

.....। उक्त सूचना के आधार पर मैं आज दिनांक .....को .....बजे.....

..... (मौके का विवरण) पहुँचा। मेरे साथ दल के श्री ..... (नाम).....

... (पद).....एवं श्री ..... (वीडियोग्राफर का नाम) थे। मौके पर

श्री ..... पुत्र श्री .....उम्र.....निवासी.....(पूर्ण ..... पता एवं

मोबाईल नम्बर) उपस्थित मिले। मैंने मौके पर देखा कि ..... (घटना का विवरण).....। दल ने वाहन संख्या

.....की तलाशी ली जिसमें .....नकद राशि.....

रूपये मूल्य की वस्तुओं (वस्तुओं का विवरण) मिली। पूछताछ के आधार पर प्राथमिक रूप से मुझे अंदेशा हुआ कि

उक्त राशि मतदाताओं में बांटने के रूप में काम आने वाली थी। इसलिए .....राशि को जब्त किया गया एवं

उसकी रसीद अनुलग्नक-57 में श्री .....पुत्र श्री .....को दी। उक्त जब्त की वीडियोग्राफी करवाई गई जो

सी.डी. नं.....में रिकार्ड की है। मौके पर श्री ..... एवं श्री .....के बयान लिये गये जो पंचनामा के साथ

संलग्न है। मौके पर पंचनामा को पढ़कर सभी को सुनाया गया व उपस्थित व्यक्तियों, दल के सदस्यों व श्री .....पुत्र

श्री .....के हस्ताक्षर लिये गये।

ह. दल के सदस्य नाम व पदनाम

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाम व

1

पदनाम

2

3

जिस व्यक्ति से नकदी / वस्तु जब्त की गई है उस व्यक्ति को रसीद देने के लिए प्रपत्र

पुस्तिका संख्या : ..... रसीद संख्या ..... दिनांक : ..... कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट का नाम ..... (उड़न दस्ते / स्थैतिक निगरानी दल का नेतृत्व करने वाला)  
1. श्री ..... निवासी ..... मोबाईल नं. .... से ..... (तारीख) को .....  
..... (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के नाम) के स्थान ..... (स्थान जहाँ से जब्ती की  
गई) से ..... जिले के ..... पुलिस थाने के ..... विधानसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
में पड़ता है, से नकदी ..... धनराशि (शब्दों में) / अन्य वस्तुएं जब्त की गई  
क्योंकि इस पूरी धनराशि / अन्य वस्तुओं का प्रयोग निर्वाचकों को रिश्वत देने में किए  
जाने का संदेह था। या

2. नकद रू0 ..... (रूपये शब्दों में) अन्य वस्तुओं के ब्यौरे श्री ..... (आयकर  
विभाग के अधिकारी का नाम) को आयकर विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाई के लिए  
सौंपें गए । (जो लागू न हो उसे काट दे) शिकायत के निवारण के लिए आप .....  
(पदनाम) जो कि व्यय अनुवीक्षण एकक के प्रधान हैं, का नाम) को सात दिनों के अंदर  
अपील कर सकते हैं या आवश्यक राहत के लिए आप सयुंक्त निदेशक, आयकर (अन्वे.)  
को भी अपील कर सकते हैं।

मुहर सहित हस्ताक्षर

(मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम व पता)

दिनांक :

# Daily Activity Report by Flying Squad on seizure of Cash/Other items related Complaints on the date .....

date.....

Reference No. ....

Name of the Sub-Division .....

Name and Designation of the Magistrate.....

State.....

Name of the Police Officer.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S.No.	Name of constituency/district	Nature of the complaint/Information	Name of the person against whom complaint received	Cash / Other Items seized by FS	Cash/ Other Items Seized by Other Police authority	FIRs filed	Name of candidate or party with which links found	Name and designation of the authority to whom seized cash/items is handed over	Remarks (If any)
1									
Description				Figure on date of report				Progressive figure including the date of report	
1	Total amount of cash/ Other Items seized by Flying Squad								



2	Total amount of cash/ Other Items seized by Other Police authority			
3	Total of number of complaints of cash/ Other Items, received			
4	Total of number of complaints, verified			
5	Total of number of complaints, pending			
6	Total number of FIRs filed up to the end of the day			

*Signature*

*Name & Designation of the Officer in Charge of Flying Squad / Nodal Officer of State Police HQ*

1. The Officer in charge of the Flying Squad will submit the report for each Flying Squad in this format to the SP with copy to RO, DEO, General Observer and Expenditure Observer.
2. The SP will send the report to the Nodal Officer in State Headquarter after compiling the data for the entire district.
3. The Nodal Officer of State Police HQ will compile the data for the whole state and send the report to Commission with copy to CEO of the State.

# Annexure-B9

## Daily Activity Report by Flying Squad on MCC related Complaints on the date..

Reference No. ....  
Name of the Sub-Division .....  
State.....

Name and Designation of the  
Magistrate.....  
Name of the Police Officer.....

1	2	3		4		5	6
S.No	Name of constituency/ district	Name of Complainant	Party Affiliation, if any	Complaint against (Name)	Party Affiliation, if any	Brief Description Of MCC violation issue	Action Taken Report
1							

Signature

Name & Designation of the Officer in Charge of  
Flying Squad / Nodal Officer of State Police HQ

1. The Officer in charge of the Flying Squad will submit the report for each Flying Squad in this format to the SP with copy to RO, DEO, General Observer and Expenditure Observer.
2. The SP will send the report to the Nodal Officer in State Headquarter after compiling the data for the entire district.
3. The Nodal Officer of State Police HQ will compile the data for the whole state and send the report to Commission with copy to CEO of the State.





# स्थैतिक निगरानी दल (SST)

- प्रत्येक विधान सभा स्तर पर 3 या अधिक दल होंगे।  
8–8 घंटे के हिसाब से तीन पारियों में 24x7 कार्य करेंगे।
- प्रत्येक दल में एक मजिस्ट्रेट, एक प्रभारी पुलिस अधिकारी, 3–4 पुलिसकर्मी एवं एक वीडियोग्राफर होंगे।
- दल जिले की मुख्य सड़कों, राज्य एवं जिले की सीमाओं पर चौक पोस्ट कायम करेगा और आने–जाने वाले वाहनों की निगरानी करेगा— शराब, हथियार एवं बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने पर निगरानी रखेगा।
- SST अधिसूचना की तिथि से अपना कार्य करेगी।

- एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें निम्न कॉलम होंगे

क्र. सं.	दिनांक	समय	सूचना का स्रोत	जिनकी तलाशी ली गई उनके नाम, पता, मो. नं.	वाहन सं.	तलाशी में पाई वस्तुएं		जब्त राशि / सामग्री (अनुमानित मूल्य)
						नकद	अन्य	

- दैनिक रिपोर्ट Annexure-B10 में पुलिस अधीक्षक को भेजेगा जिसकी प्रति रिटर्निंग अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी व व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक को उसी दिन देगा।
- पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी सभी सूचनाएं एकत्रित कर चुनाव आयोग को भेजेंगे प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देंगे।

## .....स्थैतिक निगरानी दल (SST)

- SST की समस्त कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही होगी व समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जांच नहीं की जायेगी।
- SST द्वारा वीडियो रिकॉर्ड आर.ओ. के पास वी.वी.टी/ए.टी. को जमा कराया जायेगा। महत्वपूर्ण घटनाओं की CD CEO को भिजवाई जायेगी।
- SST जनरल प्रेक्षक एवं व्यय प्रेक्षक की सलाह अनुसार डी.ई.ओ. एवं एस.पी. के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा मतदान के 72 घंटे पूर्व इस तंत्र को और मजबूत बनाया जायेगा।
- उक्त वीडियो/डीवीडी की कॉपी 300/-रु. लेकर दी जा सकती है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।



## SST द्वारा किए जाने वाले कार्य

- मौके पर तलाशी लेना—वाहन / स्थल / व्यक्ति
- निर्वाचन सामग्री के साथ 50,000 रु से ज्यादा नकदी या 10,000 रु से ज्यादा मूल्य की वस्तुएं शराब, हथियार आदि मिलते हैं तो इन्हें जब्त किया जाएगा।
- किसी वाहन में 50000 रु से अधिक नगद अथवा 10000 रु से अधिक की वस्तुएं मिलती हैं और इनको मतदाताओं में वितरण के लिए ले जाया जा रहा हो इस प्रकार की सूचना मिलती है तो उक्त राशि एवं वस्तु को जब्त किया जाएगा।

लगातार...

- किसी अभ्यर्थी / अभिकर्ता / समर्थकों के पास 50,000 से अधिक नकदी व 10,000 मूल्य की वस्तुएं मिलती हैं तो जब्त की जाएगी।
- जब्ती की दशा में अपील व्यय मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष होगी।
- जब्ती की कार्यवाही में अपील अधिकारी का नाम लिखा जायेगा व एक प्रति इस व्यक्ति को दी जायेगी।
- जब्ती के पश्चात् जब्त राशि ट्रेजरी में जमा करायी जायेगी जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार निस्तारित की जायेगी।

लगातार...

- जिला निर्वाचन अधिकारी ट्रेज़री (कोष कार्यालय) को निर्देशित करेंगे कि कार्यालय समय के पश्चात् अथवा अवकाश में भी जब्त नकद राशि जमा करेंगे।
- 10 लाख से अधिक जब्ती की स्थिति में आयकर अधिकारी अथवा संबंधित प्रवर्तन विभाग को भी सूचित कर उनको भी साथ रखेंगे। जब्त राशि आयकर विभाग को सौंप दी जायेगी।
- जब्ती की स्थिति में पंचनामा बनाया जाएगा।



लगातार...

- जब्त राशि के संबंध में समस्त कार्यवाही उडन दस्ता दल के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के समान रहेगी ।
- वीडियोग्राफी के संबंध में भी समस्त कार्यवाही उडन दस्ता दल के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के समान रहेगी ।
- वाहन पर **Ethical Voting** से संबंधित होर्डिंग एवं टोल फ्री नम्बर 1950 अंकित कराये जायेंगे ।

लगातार...

- स्टार प्रचारक 1 लाख रूपये तक नकद अपने निजी प्रयोग हेतु ले जाता है तो ऐसी राशि को जब्त नहीं किया जायेगा।
- किसी राजनैतिक दल का कोई पदाधिकारी कोई नकद राशि लेकर जाता है तो ऐसी राशि को जब्त नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसी राशि का दल के कोषाध्यक्ष का प्रमाण उस पदाधिकारी के पास होना चाहिए।
- उक्त प्रमाण पत्र की प्रति FS/SST द्वारा रखी जाएगी।

**Daily Activity Report by Static Surveillance Teams on seizure of Cash/ Other items related Complaints on the date.....**

Place of Check Post.....  
District..... State.....

Name and Designation of the Magistrate.....  
Name and Designation of the Police Officer .....

	2	3	4	5	6	7	8
	Number & name of Constituency/district	Name and Address of Persons searched at the Check Post	Cash/ Other Items	FIR filed	Name of candidate or party having links	Name & designation of Authority to whom cash, goods seized goods are handed over after seizure	Remarks
1							
2							
3							
<b>Description</b>						<b>Figure on date of report</b>	<b>Progressive figure including the date</b>
A.	<b>Total amount of cash Seized by SST</b>						
B.	<b>Total amount of Other items seized by SST</b>						
C.	<b>No. of FIRs lodged</b>						

**Signature**

**Name & Designation of the Officer in Charge of Static Surveillance Team/ Nodal Officer of State Police**

HQ

**Note:**

- 1.The Officer in charge of the SST will submit the report for each Static Surveillance Team in this format to the SP with copy to RO, DEO, General Observer and Expenditure Observer.
- 2.The SP will send the report to the Nodal Officer in State Headquarter after compiling the data for the entire district.
- 3.The Nodal Officer of State Police HQ will compile the data for the whole state and send the report to Commission with copy to CEO of the State/UT



# वीडियो निगरानी दल (VST)

- विधानसभा स्तर पर एक या एक से अधिक टीम आवश्यकतानुसार गठित की जा सकेंगी।
- दल में एक अधिकारी, एक वीडियोग्राफर, एक वाहन होगा।
- सबको पर्याप्त प्रशिक्षण—होना चाहिये।
- रिकॉर्डिंग करते समय घटना का नाम एवं प्रकार, तिथि, स्थान, घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली में इंचार्ज द्वारा रिकार्ड कराया जायेगा।
- इस प्रकार वीडियोग्राफी की जाये कि सभा में प्रयुक्त वाहनों, पांडाल, कुर्सियों, शामियाना, लाउडस्पीकर, भाषण की रिकॉर्डिंग आदि आ जाये।

- शूटिंग के अंत में सब सामानों की मात्रा, वाहन, फर्नीचर, पांडाल की साइज आदि की वॉयस (Audio) में रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।
- Annexure-B7 में उक्त सामानों की रिपोर्ट संकेत पत्र (Cue-Sheet) तैयार की जायेगी जो रिकॉर्ड की गई सी.डी. के साथ रखी जायेगी।
- एक ही दिन में एक से अधिक सार्व. रैलियों, सभाओं, एवं जुलुसों इत्यादि रहने पर पर्याप्त संख्या में वीडियो टीम तैनात की जानी चाहिए।
- स्टार-प्रचारक के भाषण की सी.डी. तैयार करके साक्ष्य के रूप में रखना।
- अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण की रिकॉर्डिंग करके लिपियांतरण (Transcript) सहित भिजवाना।

# Cue-Sheet for Video Surveillance Teams

(To be filled at the time of Video Recording)

Name of District –

Name of the Officer In-charge of Video Surveillance Team – Name of the Videographer –

Date-

CD Number

Sl. No.	No. and Name of Constituency	Name of Candidate	Location	Event	Time of the day when recording began	Time on CD when recording began	Time on CD when recording ended	Duration of recording	Brief Description of evidence Recorded
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Officer In-Charge of Video Surveillance Team



# वीडियो अवलोकन दल (VVT)

- इस दल में एक अधिकारी, 2 कर्मचारी आदि होंगे। प्रत्येक विधानसभा के लिए कम से कम एक वीडियो अवलोकन टीम होगी। जो कि चुनाव घोषणा की तिथि से कार्य करेगा।
- व्यय से संबंधित मामलों और आचार संहिता से संबंधित मामलों की पहचान के लिए FS/SST एवं VST द्वारा प्रस्तुत सीडी / डीवीडी को देखना।
- अभ्यर्थीवार खर्चों का विवरण लेखा दल / ए.ई.ओ. को उपलब्ध कराना—अगले दिन तक। ताकि SOR में इसका इन्द्राज किया जा सकें।
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में रिपोर्ट R.O. व सामान्य प्रेक्षक को उपलब्ध करवाना।

## लेखा दल (A.T.)

- एक विधान सभा क्षेत्र के लिये कम से कम एक लेखा टीम होगी जिसमें कम से कम एक लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी होगा तथा आवश्यकतानुसार लेखाकार एवं अन्य स्टाफ होगा। जो कि चुनाव घोषणा की तिथि से कार्य करेगा।
- लेखा टीम के कार्मिक विभिन्न सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा अनुभागों से लिए जाने चाहिए। लेखाकार उपलब्ध नहीं होने पर मंत्रालयिक कार्मिक कार्य कर सकते हैं।
- उक्त लेखा दल वीवीटी, मीडिया प्रकोष्ठ व अन्य से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर छाया प्रेक्षक रजिस्टर (SOR) में प्रविष्टि करेगा। एवं फोल्डर ऑफ एविडेन्स (FE) संधारित करेगा।

लगातार...

- लेखा दल प्रत्येक अभ्यर्थी का Shadow Observation Register संधारित करेगा। (Hard Copy & Soft Copy)
- Folder of Evidence (FE) बनेगा जो कि आवश्यकता पडने पर आयोग को भेजा जा सकेगा।
- वी.वी.टी. एवं एम.सी.एम.सी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से व्यय के मदों की प्रविष्टि करेंगे और प्रत्येक मद के सम्मुख अधिसूचित दर का अंकन कर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मदों पर कुल व्यय की गणना करेंगे।



# Annexure -B11

## Shadow Observation Register for Maintenance of Day to Day Accounts of Contesting Candidates by Accounting Team

Name of the Candidate: -----

Name of Political Party, if any:-----

Name of the Constituency from which the candidate is contesting:-----

Date of Declaration of Result:----- Name and address of Election Agent, if any:-----

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1	2*	3				4				5
S. NO. (Even t wise)	Date and Nature of Expenditure (Rally, Sabha, Campaign Vehicles, Food, Campaign Material, Advertisements/Paid News etc. ) as observed by the VST, VVT, ATMCMC	Expenditure calculated as per notified rates (Rs.)				Expenditure declared by the Candidate in Day to Day account register maintained by the Candidate on items mentioned in column 2 (Write nil if not shown) (Rs.)				Understatement (Rs.)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(d-h)
		Description	Qty.	Rate/ Unit	Total	Page no. and date	Qty.	Rate/ Unit	Total	

# Shadow Observation Register for Maintenance of Day to Day Accounts of Contesting Candidates

6	7	8	9**	10	11 (Remarks, if any)
Date of inspection of Candidate's Expenditure Register by the Expenditure Observer	Date of issuance of notice by the RO regarding understatement shown in Column 5	Date of receipt of reply from the candidate	Whether the candidate has accepted/partially accepted/denied the understatement shown in Column 5	Mention page no. & S.no of Day to Day A/C Register, if understatement is accepted/partially accepted by the Candidate	Comments of the EO regarding the candidate's reply-whether the understatement of expenditure has been reconciled- Yes or No ?

Dated :

Signature of the Officer of the  
Accounting Team  
Name of the Officer:  
Designation:

Signature of Candidate/Election Agent

NOTE:-

\*1. Details should include CD no. &amp; SI. No. of video cue sheet.

\*\*2. If denied or partially accepted, then the decision of the DEMC in the matter should be enclosed.

# शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर

- जिला एवं R.O. स्तर पर 24x7 काम करेगा। इसका नोडल अधिकारी ए.डी.एम/एस.डी.एम स्तर का कोई वरिष्ठ अधिकारी होगा।
- जिला स्तर पर 2 टोल फ्री नं. 1950 होंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। सभी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
- निर्वाचन से संबंधित समस्त शिकायतें तुरन्त उड़न दस्ते के संबंधित अधिकारी को भेजी जायेगी।



लगातार...

- आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत की प्रति सामान्य प्रेक्षक को दी जायेगी एवं व्यय संबंधित शिकायत की प्रति व्यय प्रेक्षक को। ATR भी प्रस्तुत की जायेगी।
- अनुलग्नक B13 में दिए प्रोफार्मा में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें शिकायतकर्ता का नाम व पता, शिकायत की प्रकृति, समय और नियंत्रण कक्ष द्वारा की गई कार्यवाही का अंकन किया जायेगा।
- नियंत्रण कक्ष द्वारा संधारित रजिस्टर का व्यय प्रेक्षक एवं सामान्य प्रेक्षक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

**Daily Action Report of RO on Call Centre information**

Date:

Constituency:

<b>S. No</b>	<b>Nature of Complaint</b>	<b>Time of Receiving the Complaint/Information by any mode Viz: Phone/Fax/e-mail/SMS/Special Messenger</b>	<b>Detail Narration on the action taken</b>	<b>Whether forwarded to Accounting Team</b>

( Signature, Name & Designation with date)

## हवाई अड्डों (जयपुर / उदयपुर) पर कार्यवाही

- उड़ान दस्ता या पुलिस प्राधिकारी / सी.आई.एस.एफ. द्वारा विमान के पायलट के समन्वय से प्रत्येक सामान या बैग की जांच की जायेगी।
- मतदान वाले राज्य के लिए या उससे उड़ान भरने वाले विमानों के सामान में यदि 10.00 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी या 1 कि. ग्रा. या इससे अधिक बुलियन पायी जाये तो आयकर विभाग को सूचित किया जायेगा। आयकर विभाग द्वारा उक्त को जब्त किया जाएगा।
- कमर्शियल हवाई अड्डों पर लैंडिंग / टेक ऑफ की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं। इन हवाई अड्डों पर लैंडिंग / टेक ऑफ करने वाले सभी विमानों की सूचना ATC (विमान यातायात नियंत्रण रिकोर्ड) रखा जाएगा जिसकी सूचना एयरपोर्ट नोडल अधिकारी ई.ओ., सी.ई.ओ., डी.ओ. को प्रेषित करेगा।



- गैर व्यावसायिक हवाई अड्डो पर वायुयान / हैलीकॉप्टर उतरने से 24 घंटे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेंगे।
- किसी भी अभ्यर्थी या एजेन्ट या पार्टी पदाधिकारी के पास कोई भी अनाधिकृत हथियार, निषिद्ध वस्तुओं, एवं 50,000 /—रु से अधिक की नकदी की जांच पड़ताल की जायेगी और उन्हें जब्त करने पर विचार किया जायेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी इन वायुयान / हैलीकॉप्टर पर खर्च की गई राशि यथा किराया आदि की लिखित सूचना R.O. को देंगे।
- यदि राजनीतिक दल ने व्यय किया है तो इसकी सूचना भी देंगे व राजनीतिक दल के खाते में इसका खर्चा जुड़ेगा।

## हैलीपैड के सम्बन्ध में कार्यवाही

- गैर वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर यात्रियों के सामान की जांच पुलिस प्राधिकारी / एफ.एस द्वारा की जाएगी।
- कॉमर्शियल हवाई अड्डों पर लैण्डिंग / टेक ऑफ की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं।
- ATC संपूर्ण रिकार्ड रखेंगे तथा इसकी सूचना CEO को देंगे।
- अस्थाई हैलीपैड निर्माण की लागत दल / अभ्यर्थी के खाते में जोड़ना।

# अग्रणी बैंक अधिकारी के कार्य

- जिलों में समस्त बैंकों व शाखाओं की सूचना निम्न प्रपत्र में एकत्रित करना :-

क्रस	बैंक का नाम	शाखा का नाम	पता	शाखा प्रबन्धक का नाम	फोन नं	फैक्स नं	मो. नं. व ईमेल
------	-------------	-------------	-----	----------------------	--------	----------	----------------

- सभी शाखा प्रबन्धकों की मीटिंग जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ रखना ।
- नोडल अधिकारी के सम्बन्ध में सूचना देना ।
- निर्वाचन संबंधी जानकारी देना (शाखा प्रबंधको को)



# अग्रणी बैंक अधिकारी के कार्य

- 19.07.2012 के ECI परिपत्र D13 के निर्देशानुसार संदेहास्पद लेनदेन की शाखा प्रबंधक पहचान करेंगे और प्रति दिन सूचना लीड बैंक ऑफिसर को देंगे।
- लीड बैंक ऑफिसर सूचना संकलित कर प्रति दिन जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे।
- साप्ताहिक रूप से यह सूचना निर्वाचन विभाग व व्यय प्रेक्षक को दी जाएगी।
- संदेहास्पद लेन देन का प्रयोग निर्वाचन प्रक्रिया में तो नहीं हुआ है इसकी जांच उडन दस्ता व SST द्वारा की जाएगी।
- यदि संदेहास्पद नकद लेन देन का संबंध मतदाताओं में राशि वितरण पाया जाता है तो धारा 171B के तहत कार्यवाही की जाएगी।

# बैंक में पृथक खाता खोलना

## भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 15.10.2013

- सभी अभ्यर्थियों के बैंक खाते खोलना : निर्वाचन व्यय के लिए ।
- अभ्यर्थी स्वयं के नाम से अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाता ।
- परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त खाता नहीं खोला जायेगा ।
- यदि परिवार के सदस्य निर्वाचन अभिकर्ता हों तो उसके साथ खुल सकता है ।
- निर्वाचन व्यय के लिए अलग खाता खोलना अनिवार्य है ।
- खाता खोलने के साथ चैक बुक भी देना । ऐसी व्यवस्था पूर्व में करना ।

- किसी भी जगह, किसी भी बैंक में खाता खोला जा सकता है।
- निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त लेन-देन इसी खाते से किये जायेंगे।
- किसी भी व्यक्ति / संस्था / समुदाय से चन्दा यदि 10,000 रूपये से अधिक हो तो चैक / डी.डी. से ही लिया जायेगा जिसे बैंक खाते में जमा कराया जा सकेगा।
- 10,000 रूपये से कम राशि (किसी एक व्यक्ति से) नकद ली जा सकती है।
- निर्वाचन में होने वाले व्ययों को 10,000 रु तक नकद में किया जा सकेगा। 10,000 रूपये से अधिक के भुगतान चैक द्वारा ही किये जायेंगे।
- किसी भी एक व्यक्ति को नकद भुगतान 10,000 रूपये तक किया जा सकता है। इससे अधिक नहीं।



निम्न को सन्देहास्पद लेन-देन माना जाएगा

- पिछले दो महीने में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना 1,00,000 रूपये से अधिक राशि का नकद लेनदेन।
- एक बैंक खाते से जिले/विधानसभा क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के खाते में RTGS (Real Time Gross Settlement) से असामान्य हस्तान्तरण जो कि पहले कोई हस्तान्तरण नहीं हो।
- अभ्यर्थी या उसकी पत्नी या उनके आश्रित जो कि अभ्यर्थी के शपथ पत्र में वर्णित है, के बैंक खाते से 1,00,000 रूपये से अधिक नकद राशि जमा कराना या निकालना।

- राजनैतिक दलों के खाते से 1.00 लाख रूपये से अधिक की नकद राशि जमा कराना या निकासी ।
- अन्य कोई भी सन्देहास्पद नकद लेन—देन जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।
- 10.00 लाख से अधिक के नकद लेन—देन की सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भी दिया जायेगा ।

# बैंक द्वारा रिपोर्ट भेजना

संदेहास्पद लेन-देन के संबंध में बैंक निम्न प्रारूप में रिपोर्ट भेजेंगे।

- (i) Name and No. of LS
- (ii) Name and No. AC
- (iii) Name of District.
- (iv) Name of Bank
- (v) Name of Branch.

## 1. Suspicious Cash Transactions.

S.N.	Date	Name of A/c holder & Address	A/c No.	PAN NO.	Deposit/ Withdrawal	Amount
------	------	------------------------------	---------	---------	---------------------	--------



## 2. Suspicious Transactions Through RTGS.

S.N.	Date	Name of Transact or of RTGS & Address	A/c No.	PAN NO	Deposit/ Withdrawal	Amount	Name of Receiving Transaction Holder & Address	A/c No.	PAN NO.	Amount
------	------	---------------------------------------	---------	--------	---------------------	--------	--	---------	---------	--------

## 3. Cash Transaction by Candidates and Relatives

S . N .	D ate	Na me of Can dida te & Add ress	A/ c No .	PAN N O.	Deposi t/ Withdr awal	Am ou n t	Name of Candida tes Relative & Address	A/c No.	PAN NO.	Rela tion	Deposi t/ Withdr awal	Amount
---------	-------	---------------------------------	-----------	----------	-----------------------	-----------	--	---------	---------	-----------	-----------------------	--------

## 4. Cash Transaction by Political Parties

S.N.	Date	Name of Political Party	A/c No.	PAN NO.	Deposit/ Withdrawal	Amount
------	------	-------------------------	---------	---------	---------------------	--------

## 5. Other Suspicious Cash Transaction

S.N.	Date	Name of Transactor & Address	A/c No.	PAN NO.	Deposit/ Withdrawal	Amount
------	------	------------------------------	---------	---------	---------------------	--------

### बैंक लेन-देन के सम्बन्ध में EMC के कार्य

1. बैंक लेन-देनों (नकद) की जाँच कराना कि उक्त राशि मतदाताओं में वितरण हेतु काम ली गयी या नहीं। यदि हाँ, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (IPC 171 B) में दर्ज कराना।
2. अभ्यर्थी / दल के खाते में न्यायालय के निर्णय के उपरान्त राशि जोड़ना।
3. जाँच FS/SST या अन्य अधिकारियों से कराई जा सकेगी।

# आयकर विभाग

## राज्य स्तर पर आयकर विभाग के कार्य

- नोडल अधिकारी की नियुक्ति
- नियन्त्रण कक्ष की स्थापना
- नियन्त्रण कक्ष 24X7 कार्य करेगा
- टोल फ्री नं. लेना।
- नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नं. व टोल फ्री नं. का व्यापक प्रचार—प्रसार करना।
- जिला स्तर पर आयकर विभाग के दलों का गठन
- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अन्य हवाई अड्डों पर AIU का गठन
- अनुलग्नक—B15 में रिपोर्ट भिजवाना।
- अभ्यर्थियों के शपथ पत्रों में दर्शाई गई आय के सम्बन्ध में जांच करना।
- अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में अंकित रिश्तेदारों की आयकर विवरणी की जांच करना।
- राजनैतिक दलों द्वारा दाखिल आयकर विवरण की जांच करना।



# जिला स्तर पर आयकर विभाग के कार्य

- उडन-दस्ते /स्थैतिक निगरानी दलों के द्वारा 10,00,000 नगद जब्त राशि के प्रकरणों की आयकर अधीनियम के प्रावधानों के तहत जांच करना ।
- स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत के आधार पर कार्यवाही करना ।
- किसी भवन में बड़ी मात्रा में नकद राशि जो मतदाताओं में वितरण के लिये रखी हो, की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही करना ।
- बैंकों में संदेहास्पद लेन-देन जो कि 10,00,000 से अधिक की राशि के हों के सम्बन्ध में जांच करना ।
- जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की पालना करना ।

# आबकारी विभाग

## राज्य स्तर पर आबाकारी विभाग के कार्य

- नोडल अधिकारी की नियुक्ति
- नियन्त्रण कक्ष की स्थापना
- नियन्त्रण कक्ष 24X7 कार्य करेगा
- टोल फ्री नं. लेना।
- नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नं. व टोल फ्री नं. का व्यापक प्रचार—प्रसार करना।
- जिला स्तर पर आबकारी विभाग के उड़न दस्ता दलों का गठन

- अनुलग्नक—B14 में रिपोर्ट भिजवाना ।
- अवैध शराब के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावी नियन्त्रण करना ।
- डिस्टिलरीज, बॉटलिंग प्लान्ट, गोदाम की सूची क्षमता सहित एवं शराब की दुकानों की सूची जिलेवार तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना ।
- शराब के उत्पादन एवं भण्डारण केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना ।
- सूखा दिवस घोषित कराना ।
- पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से सटे गाँवों में भी सूखा दिवस घोषित कराना ।
- चैक पोस्ट कायम करना ।
- अन्तर्राज्यीय सीमाओं से आने वाली शराब की चैकिंग के लिए विशेष दल गठित करना ।



- शराब के उत्पादन एवं भण्डारण केन्द्रों पर 24X7 अधिकारी एवं सशस्त्र पुलिस बल तैनात करना ।
- अन्तर्राष्ट्रीय / अन्तर्राज्यीय राजमार्गों पर चौकपोस्ट तैनात करना ।
- शराब बिक्री केन्द्रों को संवेदनशील मानकर उनपर सतर्क निगरानी बनाए रखना ।
- IMFL, Beer एवं देशी शराब के सस्ते ब्राण्डों पर विशेष ध्यान देना । चुनाव से पहले इनका भण्डारण न हो इसका ध्यान रखना ।
- शराब विक्रेताओं से ब्राण्ड वार शराब का स्टॉक रजिस्टर संधारित करवाना एवं इनकी जांच करवाना ।
- अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों के द्वारा कूपन के माध्यम से शराब विक्रय पर विशेष निगरानी रखना ।

## विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

- जिन शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री में महत्वपूर्ण बिक्री होती है उनकी दैनिक रिपोर्ट मंगवाना ।
- मतदान दिवस से पूर्व के एक माह की औसत बिक्री की तुलना दैनिक बिक्री से करते हुए 30 प्रतिशत या अधिक बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण वृद्धि मानते हुए कार्यवाही करना ।
- महत्वपूर्ण वृद्धि के मामलों में सघन जांच व कड़ी कार्यवाही करना जिसके अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र भी निरस्त किया जा सकता है ।

- जिला स्तर पर आबकारी विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा अनुलग्नक-1 में रिपोर्ट प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करना ।
- जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुलग्नक-2 में दैनिक रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी ।

**अवैध शराब के संभावित संग्रहण केन्द्रों की पहचान करना :-**

- झुग्गी-झोंपडी, कच्ची बस्ती
- ढाणी, मजरा
- मोहल्ला विशेष
- इन पर विशेष दल (कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस व आबकारी विभाग) के अधिकारियों द्वारा रेड डालना ।



# शराब की दुकानों का संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकरण

**ए श्रेणी :** जिन दुकानों में 01.09.2020 के स्टाक से 01.09.2021 को स्टाक 50% या अधिक हो ।

**बी श्रेणी :** झुग्गी-झोंपडियों या कच्ची बस्तियों में या उनके आस-पास शराब की दुकानें ।

**सी श्रेणी :** मुख्य सड़क या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें ।

**डी श्रेणी :** 09.08.2020 की औसत बिक्री से 09.09.2021 में 30 प्रतिशत अधिक बिक्री वाली दुकानें ।

उक्त सभी दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिये व इनके स्टाक रजिस्टर की रोज़ाना जांच की जानी चाहिये ।

# जिला स्तर पर आबकारी विभाग के कार्य

- सम्पूर्ण जिले में अवैध शराब की रोकथाम करना ।
- चुनावों की घोषणा की तिथि से शराब की उत्पादन भण्डारण एवं बिक्री की दैनिक रिपोर्ट लेकर आयोग को भिजवाना ।
- व्यय संवेदनशील पॉकेट्स की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर इनमें विशेष रूप से निगरानी रखना ।
- स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत के आधार पर कार्यवाही करना ।
- जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की पालना करना ।
- मतदान तिथि के पूर्व के 72 घण्टों में शराब वितरण के संबंध में कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करना ।

**Report on alternate day of IMFL/Beer/Country Liquor by the State/District Level Nodal Officer  
(Separate report should be submitted for IMFL Beer & Country Liquor)**

Name of the District / Name of the State/UT			Date of report:	
S.No.	Description	During the day (This year)	During the day (Last year)	Remarks on excess, if any
1.	Opening stock with manufacturers in Bulk litres			
2.	Production/Bottling in Bulk litres			
3.	Total Dispatch of stock from the manufacturer's godown in Bulk litres			
4.	Closing stock in Bulk litres with manufacturers (1+2-3)			
5.	Dispatch of stock from manufacturer's godown to whole sellers/Stockists in Bulk litres			
6.	Opening stock with Retailers in Bulk litres			
7.	Purchase by Retailers in Bulk litres			
8.	Sale by Retailers in Bulk litres			
9.	Closing Stock with Retailers in Bulk litres (7+8-9)			
10.	Sale by others in Bulk litres			
11.	Number of check posts			
12.	Volume of illicit liquor seized by check posts in Bulk litres			



S.No.	Description	During the day (This year)	During the day (Last year)	Remarks on excess, if any
13.	Number of raids conducted			
14.	Volume of illicit liquor seized in Bulk litres during raids			
15.	No. of Prohibition cases			
16.	No. of persons arrested			
17.	Amount of Fine imposed			

**Note:-**

Signature of Nodal  
Officer Name  
Designation

1. Separate Reports for IMFL, Beer or Country Liquor is to be furnished in the above format by District Level Nodal Officer of Excise Department to the State Level Nodal Officer with copy to DEO.
2. The State Level Nodal Officer of Excise Department will monitor and compile the district level reports and submit composite report of the State to the CEO in the same format, with a copy to Election Commission of India.

Daily Report from District Excise Officer to Collector for Liquor Monitoring (Only those shops, which have 30% or more increase in sales over average-----date-----month-----year daily need to be reported.)

Name of the District:

Date:

S.No.	Name and address of the shop	Average daily sales of -- date---- month --- year-- (in Bulk Litre)	Yesterday's sale (in Bulk Liter)	Percentage increase in sales (%)	Reasons for increase	Action taken

## Daily Report from Collector and DEO to CEO for Liquor Monitoring

**Date:****Name of the District:**

1.No. of IMFL shops in the district:

2.No. of Country Liquor shops in the district:

3.Brand-wise stock register maintained in all shops: (yes/no)

- (Please mention action taken against those shops where a violation is found and mention if the proper brand-wise stock registers is maintained since)

- 4.List of sensitive liquor retail shops in the district:

- (Please enclose the list with complete address and licensee name and reason for classifying it as sensitive)

S.No.	Name and address of the shop	Licensee Name	Reason for classifying it as sensitive	Steps taken for close monitoring



# Seizure and raids/assets etc. of Excise Dept. upto poll day

Consolidated report of seizure of all types Liquors in (Litres)	Values in Rs. (Approx.)	Total Raids during election process (No.'s)	Total no. of Police complaints filed during election process (No's)	Total Arrest during Election process (No's)

Signature :

Designation :

date :

# वाहन

- अभ्यर्थियों को वाहन प्रयोग में लेने से पहले R.O की अनुमति लेनी होगी।
- अनुमति पत्र वाहन के शीशे पर चस्पा होगा।
- बिना अनुमति के वाहन यदि प्रचार—प्रसार में काम आ रहा है तो उसे जब्त किया जायेगा।
- यदि वाहन पर अनुमति किसी अन्य अभ्यर्थी की है और प्रचार किसी अन्य अभ्यर्थी का कर रहा है तो जब्त किया जायेगा व व्यय उस अभ्यर्थी के खाते में दर्ज होगा जिसका प्रचार किया जा रहा है।

# जनसभा व रैलियां

- कोई भी जनसभा या रैली निकालने के लिये निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक D1) में आवेदन दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ सभा/रैली में होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा भी देंगे।
- जिला कलक्टर सभा/रैली की अनुमति पत्र के साथ अनुमानित व्यय का ब्यौरा R.O./SDM को देंगे।
- R.O./SDM उक्त अनुमानित व्यय को ध्यान में रखते हुये सभा/रैली में हुये वास्तविक व्यय की गणना करेंगे। वी.एस.टी. से वीडियोग्राफी करवा कर साक्ष्य ग्रहण करेंगे।
- जनसभा/रैली की वीडियोग्राफी VST द्वारा की जायेगी।
- नाम-निर्देशन पत्र भरने के समय रैली के व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुड़ेंगे भले ही उक्त का भुगतान पहले ही कर दिया हो।



## जनसभा व रैलियां....

- यदि रैली में निजी वाहनों पर कोई झंडे, बैनर नहीं लगे हो तो उनका व्यय नहीं जुड़ेगा।
- व्यावसायिक वाहनों का व्यय जुड़ेगा।
- अभ्यर्थी की निजी गाड़ी का डीजल / पेट्रोल व ड्राइवर का वेतन व्यय में जुड़ेगा।
- एक से अधिक निजी वाहन (अभ्यर्थी के) यदि रैली में शामिल हैं तो किराया जुड़ेगा।
- राजनीतिक दल का कोई जिला स्तरीय पदाधिकारी जो अभ्यर्थी नहीं है का वाहन का व्यय अभ्यर्थी के खाते में नहीं जुड़ेगा, बल्कि दल के खाते में जुड़ेगा।

## लगातार.....

- पांडाल में यदि अभ्यर्थी की फोटो लगी है या उसके पक्ष में मत देने की अपील की जाती है तो पांडाल का समस्त व्यय अभ्यर्थी के खाते में जायेगा।
- पांडाल में भोजन व्यवस्था तथा निवास के बाजार मूल्य की गणना करके राशि अभ्यर्थी के खाते में की जायेगी।
- अभ्यर्थियों को हवाई यात्रा के 5 दिन में वायुयान / हेलीकॉप्टर का किराया आदि के बारे में R.O को सूचना देनी होगी। यदि राजनीतिक दल इसका व्यय कर रहे हैं तो इस दल का नाम बताना होगा। जिससे राशि दल / अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी जा सके।

# स्टार प्रचारक

## RP Act, 1951 की धारा 77 :-

- राजनैतिक दलों के द्वारा चुनाव अधिसूचना के 10 दिवस में स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
- राष्ट्रीय दलों के 30 व अन्य दलों की दशा में 15 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।
- स्टार प्रचारक अभ्यर्थी के साथ यात्रा करता है तो 50 प्रतिशत व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुड़ेगा।
- निजी विमान/हैलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों के सामान की एयरपोर्ट पर जांच की जायेगी।
- व्यावसायिक हवाई अड्डों पर हवाई जहाज/हैलीकॉप्टर उतरने से 48 घंटे पहले अभ्यर्थी या राजनीतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी को यात्रा-कार्यक्रम की सूचना देनी होगी जिससे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सके।
- सहयोगी दलों के स्टार प्रचारक के व्यय भी जुड़ेंगे।



- यदि कोई स्टार प्रचारक के साथ सेवक, सुरक्षा गार्ड, चिकित्सकीय परिचारक या अन्य कोई व्यक्ति, दल का सदस्य भी, यात्रा करता है जो उस लोकसभा क्षेत्र का अभ्यर्थी नहीं है अथवा मीडिया का कोई प्रतिनिधि स्टार-प्रचारक के साथ यात्रा करता है (किसी भी वाहन में) तो यात्रा व्यय राजनीतिक दल के खाते में जुड़ेंगे। बशर्ते कि इनमें से किसी भी व्यक्ति की चुनाव प्रचार में कोई भूमिका नहीं हो।
- यदि स्टार-प्रचारक के साथ कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार करता है तो स्टार-प्रचारक की यात्रा का 50 प्रतिशत अभ्यर्थी के खाते में जुड़ेगा।

- यदि स्टार प्रचारक अपने विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कहीं भी जनसभा/रैली में भाग लेते हैं तो स्टार प्रचारक का समस्त व्यय दल के खर्चे में जुड़ेगा।
- स्टार-प्रचारक अपने निर्वाचन क्षेत्र में रैली/जनसभा आयोजित करता है तो जनसभा/रैली के समस्त व्यय स्टार प्रचारक की यात्रा व्यय सहित उसके खाते में जुड़ेंगे।
- यदि रैली/सभा स्टार-प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र के अलावा अन्य स्थान पर होती है जहाँ अन्य अभ्यर्थी भी उपस्थित रहते हैं तो सभा/रैली के सम्पूर्ण व्यय सभी अभ्यर्थियों में बराबर बटेंगे।
- स्टार प्रचारक की सभा में कोई भी अभ्यर्थी यदि उपस्थित होता है तो सभा का सम्पूर्ण व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा।
- स्टार प्रचारक की सभा में एक से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हो तो सभा का सम्पूर्ण व्यय सभी अभ्यर्थियों में जोड़ा जायेगा।

प्रश्न क्या घटित होगा यदि मैं लेखा दाखिल ही नहीं करता हूँ या विहित समय एवं रीति से लेखा दाखिल नहीं करता हूँ।



उत्तर: यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपना लेखा दाखिल करने में असफल रहता है या अपना लेखा दाखिल करने में विफल रहता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जाएगी और उसे सम्यक् प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग द्वारा संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने और होने से आयोग द्वारा अभ्यर्थी को इस तरह निरहित घोषित किए जाने के आदेश की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जा सकता है।



प्रश्न विभिन्न मर्दों के लिए दरों का निर्णय कैसे लिया जाता है और मैं दर चार्ट कैसे प्राप्त करूं ?



उत्तर: अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक आधार पर मेनटेन किए जाने वाले व्यय की संवीक्षा को फेसिलीटेट करने के उद्देश्य से आयोग ने निदेश दिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के पश्चात विद्यमान दरों के आधार पर जिले में निर्वाचन प्रचार के लिए सामान्यतः प्रयुक्त मर्दों की दर चार्ट संकलित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सभी मर्दों की दर सूची सभी अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों को उपलब्ध करा दी जाए।

# व्यय मामलों के लिए अतिरिक्त अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रपत्र

(साधारण) उप निर्वाचन के लिए .....(वर्ष का उल्लेख करें)

- राज्य का नाम
- निर्वाचन क्षेत्र का नाम
- अभ्यर्थी का नाम और पता
- सम्बद्ध पार्टी, यदि कोई हो
- अतिरिक्त एजेण्ट का नाम
- अतिरिक्त एजेण्ट का पूरा डाक पता
- सम्पर्क टेलीफोन नम्बर
- मैं.....(अभ्यर्थी का नाम) एतद्द्वारा, उपरोक्त निर्वाचन के लिए श्री / श्रीमती.....को अपने अतिरिक्त एजेण्ट के रूप में नियुक्त करता हूँ। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उन्हें विधि के अधीन संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित नहीं किया गया है और उक्त व्यक्ति कोई सदस्य / संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य / निगम मेयर / नगर पालिका / जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं है और ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
- स्थान
- दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखों का संधारण

- अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखे संधारित करेगा।
- नामांकन-पत्र प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को लेखे रखने हेतु निर्वाचन व्यय रजिस्टर देगा।
- उक्त रजिस्ट्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित होगी व प्रत्येक पृष्ठ अधिकृत होंगे।
- अभ्यर्थी के दैनिक व्ययों की सही प्रविष्टि इन रजिस्ट्रों में अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी।



- उक्त रजिस्टर के साथ समस्त वाउचर, बिल, रसीद आदि तिथिवार संधारित की जाएगी जो रजिस्ट्रों का भाग होंगी।
- नामांकन दाखिल करने की तिथि से परिणामों की घोषणा तक के दौरान प्रत्येक तीन दिवस में एक बार आवश्यक रूप से निर्वाचन व्यय लेखों का निरीक्षण आर.ओ. या उनके द्वारा नामित अधिकारी को करवाएंगे।
- आर.ओ. एवं व्यय पर्यवेक्षक निरीक्षण का कार्यक्रम बनाएंगे कि किस तिथि को किस अभ्यर्थी के लेखों का निरीक्षण किया जाना है।

- प्रत्येक निरीक्षण के बाद दैनिक रजिस्टर को स्कैन किया जाकर जनता की सूचना के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ।
- अभ्यर्थी के लेखों की जांच निरीक्षण के समय की जाएगी व रजिस्टर के पृष्ठों की 2 फोटो प्रति लेंगे । एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी व एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रिकार्ड के रूप में रहेगी ।

- अभ्यर्थी को आर.पी.एक्ट की धारा 78 के अनुसार परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
- उक्त प्रस्तुत लेखों को 3 दिवस में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वैबसाइट पर अपलोड करना होगा।



- RO को सूचित कर अभ्यर्थी एक अलग से व्यय अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं।
- R.O.के कार्यालय में अथवा अन्य किसी सरकारी कार्यालय में ही निरीक्षण होगा।
- निरीक्षण गेस्ट हाउस में नहीं होगा।
- निरीक्षण का समय 10 A.M. to 5 P.M होगा।
- निरीक्षण के समय लेखा दल व सहायक व्यय प्रेक्षक उपस्थित रहेगा। इनके साथ SOR व FE रहेगा।
- अधिक खर्चा जो SOR में दर्ज है को लिखा जायेगा व अभ्यर्थी / अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। उन पर EO/AEO/ RO/ लेखा दल के हस्ताक्षर भी होंगे।

- व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी को आयोग द्वारा देखा जायेगा जब अयोग्य घोषित किया जाना हो।
- संदेहास्पद पेड न्यूज को दर्ज करना चाहिये (MCMC के निर्णय अधीन)
- अनियमितताओं के लिये R.O. उसी दिन नोटिस देगा।
- रजिस्ट्रों की प्रति प्रत्येक निरीक्षण में ली जायेगी व उसे नोटिस बोर्ड पर चरप्पा किया जायेगा।
- आम जनता को उसकी प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क 1/- रु. प्रति पृष्ठ लेकर दी जा सकेगी।

- निर्वाचन व्यय लेखे निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर R.O. नोटिस देगा। उसके बाद भी प्रस्तुत नहीं करने पर F.I.R 171 I (IPC) में दर्ज करायेगा।
- वाहनों की अनुमति रद्द कर दी जायेगी।
- FS को सूचना दी जायेगी व प्रचार में पायी गई गाड़ियां प्रचार से हटा दी जायेंगी।



# अभ्यर्थियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर

- दैनिक रजिस्टर—भाग 'क'—सफेद रंग के पन्ने
- नकद रजिस्टर—भाग 'ख'— गुलाबी रंग के पन्ने
- बैंक रजिस्टर — भाग 'ग' —पीले रंग के पन्ने

परिशिष्ट: ड-1 भाग- 'क'

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे हेतु संधारित किया जाने वाला दैनिक रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :-

राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय :- विधान सभा का नाम:-

परिणाम घोषित होने की तिथि:- निर्वाचन अभिकर्ता का नाम व पता:- किया गया कुल व्यय:-

नामांकन प्रस्तुत करने की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
व्यय / घटना की तिथि	व्यय की प्रकृति			कुल राशि (चुकायी गई+ बकाया)	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम व पता	बिल सं. / वाउचर सं. व दिनांक	अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा व्यय की गई / ऑथोराइज की गई राशि	राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई / ऑथोराइज की गई राशि तथा दल का नाम	अन्य व्यक्ति / संस्था / संघ / कोई अन्य द्वारा (पूरा नाम व पता लिखें) व्यय की गई / ऑथोराइज की गई राशि	टिप्पणी
	विवरण (i)	मात्रा (ii)	प्रति इकाई दर (iii)							

प्रमाणीकरण:- प्रमाणित किया जाता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सही (True) लेखे रखे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## नोट:—

- यह रजिस्टर दैनिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिये। व्यय पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी अथवा अन्य किसी अधिकारी (जो अधिकृत किया गया हो) को किसी भी समय निरीक्षण के लिये उक्त रजिस्टर उपलब्ध रहेगा।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन व्यय के रिटर्न के रूप में उक्त रजिस्टर मूल रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना है। इसके साथ निर्वाचन व्यय का संक्षिप्त (Abstract) सार विवरण तथा निर्धारित प्रपत्र में शपथ भी संलग्न करना होगा।



- निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 86 (2) में अनुसूचित मदों के लिये वाउचर संलग्न नहीं करने है। अन्य मदों के लिये वाउचर संलग्न करने हैं।
- जिन मदों के लिये वाउचर संलग्न नहीं किये है एक स्पष्टीकरण निर्धारित रजिस्टर में देना है कि उक्त मदों के लिये वाउचर प्राप्त करना क्यों व्यावहारिक नहीं था।
- निर्वाचन व्यय लेखे व संकलित विवरण यदि निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है, तब अभ्यर्थी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जायेंगे एवं अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे। शपथ पत्र पर भी अभ्यर्थी के स्वयं के हस्ताक्षर होंगे।

- अभ्यर्थी / निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा सीधे किये गये व्ययों के अतिरिक्त, राजनैतिक दलों, अन्य संस्थाओं संघों या व्यक्तियों द्वारा चुनाव संबंधी किये गये सभी व्यय अभ्यर्थी के लेखों में सम्मिलित किये जायेंगे। अपवाद केवल इतना ही होगा कि राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों में किये गये व्ययों को शामिल नहीं किया जायेगा (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 (1) का स्पष्टीकरण 1 व 2)
- यदि कॉलम 2 व 3 में वर्णित मद में कोई व्यय किया गया है जो कि अभ्यर्थी / निर्वाचन अधिकर्ता के अतिरिक्त कोई राजनैतिक दल, संस्था या अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया हो तो उसका नाम व पता कॉलम 7 व 8 में आवश्यक रूप से लिखा जायेगा।

- कॉलम सं. 2 व 3 में अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किये गये सभी नकद व्यय दर्शाये जायेंगे और यदि किसी स्रोत से कोई वस्तु या सेवाएँ भी अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता ने ली हैं तो उनका मूल्य भी जुड़ेगा।
- इस रजिस्टर में दैनिक रजिस्टर 'भाग-क', नकद रजिस्टर 'भाग-ख', व बैंक रजिस्टर 'भाग-ग' शामिल हैं।



# निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संधारित दैनिक लेखों हेतु नकद रजिस्टर

भाग —ख (Part-B)

निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संधारित दैनिक रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :—

राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय :—

विधान सभा का नाम:—

परिणाम घोषित होने की तिथि:—

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम व पता:—

किया गया कुल व्यय:—

प्राप्तियां				भुगतान				शेष राशि	टिप्पणी
दिनांक	जिन संस्थाओं/दलों/व्यक्तियों से राशि प्राप्त की है उनका नाम व पता	रसीद सं.	राशि	बिल/वा उचर नं. एवं तिथि	लेने/पाने वाले का नाम व पता	व्यय की प्रकृति	राशि	शेष राशि जिस व्यक्ति के पास रखी गई है उसका नाम व पता। यदि नकद एक से अधिक व्यक्तियों के पास हो तो सबके नाम व पते	कॉलम 7 में दर्शाये गये व्यय जो कि Part-A के कॉलम 2 में नहीं दर्शाये है के बारे में टिप्पणी की जायेगी

प्रमाणीकरण:— प्रमाणित किया जाता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सही (True) लेखे रखे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

# निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संधारित दैनिक लेखों हेतु बैंक रजिस्टर

## भाग—ग (Part-C)

### निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संधारित दैनिक रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :—

राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय :—

विधान सभा का नाम:—

परिणाम घोषित होने की तिथि:—

निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम व पता:—

किया गया कुल व्यय:—

नामांकन की तिथि से परिणाम की तिथि तक

जमा				भुगतान				शेष राशि	टिप्पणी
दिनांक	जिन संस्थाओं/दलों/व्यक्तियों से राशि प्राप्त की व बैंक में जमा कराई गई के नाम व पते	नकद/चैक नं./बैंक का नाम व शाखा का नाम	राशि	चैक नं.	प्राप्तकर्त्ता का नाम व पता	व्यय की प्रकृति	राशि	शेष	कॉलम 7 में दर्शाये गये व्यय जो कि Part-A के कॉलम 2 में नहीं दर्शाये है के बारे में टिप्पणी की जायेगी

प्रमाणीकरण:— प्रमाणित किया जाता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा सही (True) लेखे रखे गये हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

# निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखे रखने के संबंध में दिशा निर्देश

- नकद के संबंध में
- नकद चाहे स्वयं का हो या किसी दल, संस्था, संघ या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त हुआ हो उसे अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु खोले गये बैंक खाते में जमा करवायेगा।
- अभ्यर्थी की स्वयं की नकद राशि भी बैंक खाते में जमा कराई जायेगी।



- इसकी प्रविष्टि अभ्यर्थी के पास बैंक रजिस्टर भाग 'ग' में "अभ्यर्थी का स्वयं का कोष" के नाम से कॉलम सं. 2 में, कॉलम नं. 3 में नकद व कॉलम सं. 4 में राशि लिखी जायेगी।
- अन्य किसी व्यक्ति, दलों, संस्थाओं या संघों से नकद राशि प्राप्त की हो तो नकद रजिस्टर (भाग-ख) में कॉलम 1 में दिनांक, नकद जिनसे प्राप्त हुये है उनके नाम व पता कॉलम सं. 2 में, रसीद सं. (यदि हो) तो कॉलम सं. 3 में तथा राशि कॉलम सं. 4 में दर्ज की जायेगी।

- नकद रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद राशि बैंक खाते में जमा कराई जायेगी जो निर्वाचन के लिये खुलवाया गया है। राशि जमा कराने पर नकद रजिस्टर में कॉलम सं. 5 में तिथि, कॉलम सं. 6 में बैंक खाता सं. जिसमें राशि जमा कराई गई है, कॉलम सं. 7 में 'जमा' व कॉलम 8 में राशि लिखी जायेगी।

- बैंक में राशि जमा कराने के बाद बैंक रजिस्टर भाग 'ग' में निम्न प्रकार प्रविष्टि की जायेगी:—
  - कॉलम सं. 1 में तिथि
  - कॉलम सं. 2 में अभ्यर्थी की स्वयं की नकदी
  - कॉलम सं. 3 में नकद
  - कॉलम सं. 4 में राशि लिखी जायेगी
- इस प्रकार बैंक रजिस्टर का शेष पास बुक के शेष से मिलान करेगा ।



■ चैक / ड्राफ्ट / पे-आर्डर के संबंध में

➤ अभ्यर्थी ने यदि कोई चैक / ड्राफ्ट / पे-आर्डर किसी अन्य व्यक्ति / दल / संस्था या स्वयं के निजी खाते से प्राप्त किया है तो उसे निर्वाचन हेतु खुलवाये गये बैंक खाते में जमा कराना होगा।

➤ इसके लिये वह बैंक रजिस्टर भाग 'ग' में निम्न प्रविष्टी करेगा:—

**जमा वाले पक्ष में**

■ कॉलम सं. 1 में तिथि

■ कॉलम सं. 2 में जिससे चैक / ड्राफ्ट / पे-आर्डर प्राप्त किया है उनके नाम व पते

- कालम संख्या 3 में चैक आदि का नं. व बैंक व शाखा का नाम
- कॉलम सं. 4 में चैक / ड्राफ्ट की राशि
- यदि स्वयं के खाते से चैक लिया गया है तो कॉलम सं. 2 में "अभ्यर्थी का निजी कोष" दर्ज किया जायेगा।

# वस्तु अथवा सेवाओं के संबंध में

- यदि अभ्यर्थी कोई वस्तु या सेवा जैसे गाडी, पोस्टर, पैम्फलेट्स, मीडिया विज्ञापन, हैलीकॉप्टर आदि लेता है तो इन सबके लिये दैनिक रजिस्टर भाग-‘क’ में निम्न प्रविष्टि की जायेगी—
- कॉलम सं. 1 में तिथि
- कॉलम सं. 2 में वस्तु या सेवा का विवरण, मात्रा प्रति इकाई दर
- व्यय की प्रकृति व उसका कुल काल्पनिक मूल्य (Notional) कॉलम सं. 3 में
- यदि वस्तु/सेवाएँ राजनैतिक दल द्वारा प्रदान की गई है तो कॉलम सं. 7 में राजनैतिक दल का नाम व कुल राशि
- यदि वस्तु/सेवाएँ अन्य व्यक्ति/संघ/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई है तो कॉलम नं.8 में उनके नाम व पते तथा कुल मूल्य दर्शाया जायेगा।



# सभी निर्वाचन व्ययों के संबंध में

- सभी निर्वाचन व्यय दैनिक रजिस्टर भाग 'क' में दर्ज किये जायेंगे।
- जब भी कोई व्यय होगा तब प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार की जायेंगी:— यथा एक टैक्सी किराये पर ली गई है—
  - कॉलम सं. 1 में तिथि।
  - कॉलम सं. 2 में 'टैक्सी' व इसका नम्बर तथा घंटे/दिन जो किराये पर ली गई व दर प्रति घंटा/दिन भी लिखी जायेगी।
  - कुल राशि कॉलम सं. 3 में दर्ज की जाएगी।
  - टैक्सी जिसने दी, उसका नाम व पता कॉलम सं. 4 में दर्ज किया जायेगा।
  - बिल/वाउचर सं. कॉलम सं. 5 में
  - यदि राशि अभ्यर्थी द्वारा चुकाई गई है तो कॉलम सं. 6 में
  - यदि राशि राजनैतिक दल द्वारा सीधे चुकाई गई है तो कॉलम सं. 7 में दल का नाम व राशि
  - यदि राशि किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/संधों ने चुकाई है तो कॉलम संख्या 8 में राशि व नाम तथा पता लिखा जायेगा।

# चैक से भुगतान किये गये व्ययों के संबंध में:—

सभी व्यय A/c Payee Cheques द्वारा किये जायेंगे। किसी भी व्यक्ति/एकल पार्टी को सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 10,000 रु. तक फुटकर खर्च का भुगतान नकद किया जायेगा। चैक से भुगतान के संबंध में बैंक भाग 'ग' में निम्न प्रविष्टियां की जायेंगी।

- कॉलम 5 में चैक नं.
- कॉलम 6 में चैक प्राप्तकर्ता का नाम
- कॉलम 7 में व्यय की प्रकृति
- कॉलम 8 में राशि लिखी जायेगी

# नकद फुटकर व्ययों के संबंध में

- सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी को भी फुटकर व्यय की मदों में कुल 10,000 रु. तक का ही भुगतान किया जा सकता है (सं.76 / अनुदेश / 2018 / ईईपीएस दिनांक 30.11.18)
- नकद फुटकर व्ययों के लिये राशि बैंक खाते में से आहरित की जायेगी जिसके लिये बैंक रजिस्टर में निम्न प्रविष्टियां की जायेगी
  - ❖ कॉलम सं. 5 में चैक नं.
  - ❖ कॉलम सं. 6 में 'स्वयं के लिये' **Self**
  - ❖ कॉलम सं. 7 में 'फुटकर व्ययों के लिये आहरण'
  - ❖ कॉलम सं. 8 में राशि



- नकद आहरण के बाद नकद रजिस्टर भाग 'ख' में निम्न प्रकार प्रविष्टि की जायेगी
- ❖ कॉलम सं. 1 में तिथि
- ❖ कॉलम सं. 2 में 'स्वयं के लिये' 'Self'
- ❖ कॉलम सं. 3 में बैंक से आहरण
- ❖ कॉलम सं. 4 में राशि
- ❖ यदि यह राशि विभिन्न शाखा कार्यालयों का अभिकर्त्ताओं को वितरित की जाती है तो कॉलम सं. 9 में सभी का नाम व पता तथा राशि लिखी जायेगी ।

➤ भुगतान के बाद (फुटकर व्ययों के लिये) इनकी प्रविष्टि दैनिक रजिस्टर भाग 'क' में की जायेगी जो निम्न प्रकार होगी:—

- ❖ कॉलम सं. 1 में तिथि
- ❖ कॉलम सं. 2 में व्यय की प्रकृति
- ❖ कॉलम सं. 3 में कुल राशि
- ❖ कॉलम सं. 4 में प्राप्तकर्त्ता का नाम व पता
- ❖ कॉलम सं. 5 में बिल / वाउचर सं.
- ❖ कॉलम सं. 6 में 'स्वयं के लिये' Self





## भाग-II

# अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी / उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/ प्राधिकृत व्यय (रूपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/ प्राधिकृत उपगत / प्राधिकृत राशि (रूपये में)	अन्यों द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि (रूपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ 3, 4 एवं 5 का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I क : जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक सहित होने वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुलग्नक 1 के अनुसार संलग्न करें) I ख : स्टार प्रचारक (कों) के साथ जन सभा, रैली (अर्थात् : साधारण पार्टी प्रचार वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुलग्नक 2 के पार संलग्न करें)				
II	क्रम संख्या -I में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुलग्नक 3 के अनुसार संलग्न करें)				
III	केबल नेटवर्क, बल्क एस एम एस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)				
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)				
V	प्रचार कार्यकर्ताओं /अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)				
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय				
VII	आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन पर उपगत व्यय(अनुसूची-10 के अनुसार संलग्न)*				
	कुल योग				

## भाग—III

### अभ्यर्थी द्वारा जुटाए गए कोषों का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि
I	स्वयं का कोष जो चुनाव प्रचार में प्रयुक्त हुआ (अनुसूची 7 के अनुसार)	
II	दल से ली गई राशि (नकद/चैक द्वारा) (अनुसूची 8 के अनुसार)	
III	किसी अन्य व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघ व्यक्तियों के संघ आदि से ऋण, उपहार अथवा दान आदि। (अनुसूची 9 के अनुसार)	

## भाग-IV

### शपथ पत्र का प्रारूप

..... जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य /संघ राज्य क्षेत्र श्री ..... सुपुत्र..... का शपथ पत्र में ..... सुपुत्र पत्नी /पुत्री ..... आयु ..... वर्ष का निवासी एतद्द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ :-

- (1) कि मैं..... संसदीय /विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से ..... की लोकसभा / विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन /उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिनका परिणाम ..... को घोषित किया गया था।
- (2) कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक ..... (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने और मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने उपलगत /प्राधिकृत सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखा है।



(क) कि उक्त लेखा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर में ही उक्त लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ इनमें संलग्न है।

(ख) कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपलगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें भी इसमें शामिल हैं एवं उनमें से (लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम की धारा 77 (1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़कर) कुछ भी छिपाया गया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।

(ग) कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक—II में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल है।

(घ) कि पूर्व पैरा (1) से (5) में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, कि कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

### अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 201..... के इस ..... दिन में ... द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई।

(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

# पावती प्रपत्र

सेवा में,  
रिटर्निंग अधिकारी

.....

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख-रखाव के लिए अन्य दस्तावेजों के बीच ..... क.सं. वाले रजिस्टर तथा इसके अनुलग्नकों सहित आपके दिनांक ..... के पत्र सं.... की पावती देता हूँ।  
2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख-रखाव और उस लेखे की सही प्रति और निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है।

भवदीय,

जो लागू न हो, उसे काट दें :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और तारीख

**पावती**

..... (निर्वाचन क्षेत्र) के परिणाम, जो ..... (तिथि) को घोषित किया गया था, के संबंध में निर्वाचन व्ययों का लेखा ..... (तिथि) को उसकी ओर से उसके द्वारा दाखिल किया गया था, मैं आज ..... (वर्ष) के ..... (महीने) के ..... दिनांक को प्राप्त किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला .....



# अनुरसूची-I जनसभा, रैली आदि के व्यय (राजनैतिक दल के स्टार-प्रचारक के साथ व्ययों के अतिरिक्त)

क. सं.	व्यय की प्रकृति	कुल राशि	अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा व्यय	राजनैतिक दल द्वारा व्यय	अन्य के द्वारा किया गया व्यय
1	लोगों को लाने-ले-जाने में प्रयुक्त वाहन				
2	स्टेज, पंडाल, खम्बा, आदि बनाने पर व्यय				
3	तोरणद्वार व बैरिकेटस बनाने पर व्यय				
4	फूल / मालाएं आदि पर व्यय				
5	लाउडस्पीकर्स, माइक्रोफोन किराए पर लेने का व्यय				
6	पोस्टर्स / बैनर्स / हैण्डबिल / पैम्फलेट / बैनर्स / कटआउट, होर्डिंग आदि				
7	पेय पदार्थ जैसे- चाय, शीतलपेय, ज्यूस आदि				
8	डिजीटल टी.वी. बोर्ड डिस्पले, प्रोजेक्ट डिस्पले आदि				

# लगातार....

क. सं.	व्यय की प्रकृति	कुल राशि	अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा व्यय	राजनैतिक दल द्वारा व्यय	अन्य के द्वारा किया गया व्यय
9	स्टार प्रचारक पर व्यय, संगीतकार व अन्य कलाकारों को भुगतान				
10	सजावट, लाइटिंग आदि पर व्यय				
11	स्वयं, सैलीब्रीटी एवं स्टार प्रचारक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के यातायात (हैलीकाप्टर) आदि पर व्यय				
12	बिजली व्यय / जनरेटर का किराया, डीजल आदि				
13	जगह का किराया				
14	जगह की सुरक्षा हेतु गार्ड / सुरक्षा व्यय				
15	स्वयं सैलीब्रीटी दल की कार्यकारिणी के सदस्य या अन्य प्रचारक जिसमें स्टार प्रचार भी शामिल है।				
16	अन्य व्यय				

## अनुसूची-2

जनसभा, रैली आदि जिसमें प्रचारक साथ थे व जिनका कुछ व्यय अभ्यर्थी को बांटा गया है

क्र. सं.	तिथि व स्थान	स्टार प्रचारक का नाम व राजनैतिक दल का नाम	स्टार प्रचारक के साथ रैली / सभा पर व्यय की राशि	विशेष विवरण



## अनुसूची-3

प्रचार सामग्री यथा पैम्फलेट, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का व्यय का विवरण, तोरण द्वार, वीडिया / आडिया में सेहत, सी.डी / डी.वी. डी., लाउडस्पीकर, एम्प्लीफायर, डिजिटल टीवी आदि

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	कुल राशि	व्यय का स्रोत अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा	राजनैतिक दल द्वारा	अन्य के द्वारा	विशेष विवरण

## अनुसूची-4

प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक मीडिया / बल्क एस.एम.एस / इंटरनेट / सोशल मीडिया पर  
प्रचार-प्रसार पर व्यय का विवरण

क्र. सं.	माध्यम (इलै. / प्रिंट की प्रकृति व अवधि)	मीडिया प्रदाता का नाम व पता	एजेन्सी / रिपोर्ट / कम्पनी जिसे भुगतान किया गया का नाम व पता	कुल राशि	व्यय का स्रोत		
					अभ्यर्थी / अभिकर्ता द्वारा	राज. दल द्वारा	अन्य व्यक्ति द्वारा





# अनुसूची-6

## अभियान में शामिल कार्यकर्ता / अभिकर्ता पर व्यय का विवरण

### अनुसूची -6

मतदान पर्ची के वितरण हेतु मतदान केन्द्रों से बाहर अभ्यर्थियों के बूथ (कियास्क ) और प्रचार कार्यकर्ता / अभिकर्ताओं पर व्यय के व्योरे:

क्रम सं.	तारीख और स्थल	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय			उपगत/ प्राधिकृत कुल राशि (रु में)	व्यय का स्रोत		
		व्ययों की प्रकृति	दर	कार्यकर्ताओं/ अभिकर्ताओं की संख्या/ किऑस्क की संख्या		अभ्यर्थी/ अभिकर्ता द्वारा व्यय की गई राशि	राजनैतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि	अन्यों द्वारा खर्च की गई राशि
1	2	3क	3ख	3ग	4	5	6	7
1.		मतदाता पर्ची के वितरण हेतु स्थापित अभ्यर्थियों के बूथ (किऑस्क)						
2.		प्रचार कार्यकर्ताओं को मानदेय/वेतन इत्यादि						
3.		भोजन व्यवस्था						
4.		आवास व्यवस्था						
5.		अन्य						
कुल								

## अनुसूची-7

### चुनाव अभियान में स्वयं के कोष का विवरण

क्र.सं.	तिथि	नकद	DD/चैक नं. बैंक व ब्रांच के नाम सहित	कुल राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

## अनुसूची-8

राजनैतिक दलों द्वारा नकद / चैक / DD / खाते में अंतरण का विवरण

क्र.सं.	राजनैतिक दल का नाम	तिथि	नकद	DD/चैक नं. बैंक व ब्रांच के नाम सहित	कुल राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7



## अनुसूची-9

अन्य व्यक्ति / कम्पनी / फर्म / संगठन / व्यक्तियों के समूह आदि से ऋण, उपहार  
अथवा दान राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम व पता	तिथि	नकद	DD/चैक नं. बैंक के विवरण सहित	ऋण / उपहार / दान का विवरण	कुल राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

### अनुसूची-10\*

समाचार और टी वी चैनलत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, के प्रकाशन पर उपगत व्यय का विवरण

क्रम सं.	समाचार पत्र			टेलीविजन			भुगतान का तरीका (इलेक्ट्रॉनिक/चैक/डीडी/नकद) (कृपया विवरण दें)
	समाचार पत्र नाम	प्रकाशन की तारीख	व्यय, जो उपगत किया गया हो (रु. में)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/दूर रदर्शन प्रसारण की तारीख एवं समय	व्यय, जो उपगत किया गया हो (रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

ध्यान दे

1. अनुसूची 5 में :-

- (क) आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, संलग्न की जानी है।
- (ख) यदि अभ्यर्थी /उसके रिश्तेदार,/एजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।
2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा; या किसी व्यक्ति / कम्पनी / कर्म / संघों / व्यक्ति निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए संबंधित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।
3. भाग-III में, राजनैतिक दल या अन्यों से प्राप्त निधि तथा अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।
4. सार विवरणी का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

\* माननीय उच्चतम न्यायात्रय के वर्ष 2011 की रिट याचिका (सि) सं.536 में दिनांक 25.09.2018 के निर्णय के अनुसरण में।

## टिप्पणी :-

- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति आदेश व वाहनों की सूची संलग्न की जायेगी
- जनसभा / रैली / प्रचार में प्रयुक्त समस्त वाहनों को शामिल किया जायेगा
- यदि वाहन अभ्यर्थी का स्वयं का / उसके रिश्तेदार का / अभिकर्त्ता का हो व चुनावों में प्रयुक्त किया गया हो तो सभी वाहनों (अभ्यर्थी के स्वयं के लिये प्रयुक्त एक वाहन को छोड़कर) का अनुमानित व्यय (Notional) उक्त व्ययों में जोड़ी जायेगी।



# राजनैतिक दल अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा आर्थिक सहायता

- उक्त आर्थिक सहायता की प्रविष्टि अभ्यर्थी द्वारा दैनिक रजिस्टर में की जाएगी।
- कोई राजनैतिक दल / अभ्यर्थियों का समूह / अन्य व्यक्ति अभ्यर्थी को नकद अथवा वस्तु अथवा सेवा के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- राजनैतिक दल जिसने आर्थिक सहायता दी है, द्वारा भी अपने लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 10.2.2013 के द्वारा राजनैतिक दलों को कहा गया है कि वे नकद सहायता के बजाय बैंक या ड्राफ्ट के माध्यम से अभ्यर्थी को राशि प्रदान करें व इसका पूरा लेखा रखें।

# निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत करना

- चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिवस में अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
- निर्वाचन व्यय लेखे में निम्न दस्तावेजात शामिल होंगे—
  - पार्ट I से पार्ट IV अभ्यर्थी के हस्ताक्षर युक्त,
  - बैंक खाते की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति,
  - अभ्यर्थी के हस्ताक्षर युक्त शपथ-पत्र,
  - दैनिक खाते का रजिस्टर एवं समस्त वाउचर मूल,
  - समस्त नोटिसों की प्रति व उनके जवाब की प्रति,
  - निरीक्षण में पाई अनियमितताओं के जवाब की प्रति,

- निर्वाचन व्यय लेखों को तीन दिन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डालना ।
- जिन अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लेखे प्रस्तुत नहीं किये है उनके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग का रिपोर्ट भेजी जायेगी ।



# संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करना

- जिन अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लेखे प्रस्तुत कर दिये है उनके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट तैयार की जायेगी ।
- उक्त संवीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक—C-3 में तैयार की जायेगी ।
- उक्त संवीक्षा रिपोर्ट पर व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी एवं हस्ताक्षर होंगे ।
- परिणाम घोषित होने तारीख से 38वें दिन तक उक्त संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी ।

A white, irregularly shaped cutout of a map of Africa is centered on a dark green, textured background. The cutout has a rough, hand-cut appearance. The text "Thank you" is printed in a serif font across the center of the white area.

Thank you